# देखी सुनी

वर्ष 2008, अंक 6

*जानकारी के बीज से ही ज्ञान का अंकुर पनपता है।*
*–हेन्ज़ वी.बरगन*

प्रिय साथियों!

एक बार फिर देखी–सुनी के ज़रिए हमारा प्रयास है कि हम आप तक कुछ ज़रूरी सामाज़िक मुद्धों पर जानकारी पहुचाएँ। हमें उम्मीद है यह अंक आप जैसे जागरूक एवं ज़िमेदार नागरिकों के कार्य क्षेत्र में सहयोगी सामग्री की भूमिका निभायेगा। इस अंक में जिन मुद्धों पर ख़बरे संकलित की गई है वे हैं : बाल–विवाह, जेंडर

## गांवों में आज भी होते हैं बाल विवाह

### सीएसआर का सर्वे- मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, इसके बाद राजस्थान का नंबर

**रेणु नेगी**

नई दिल्ली, 1 फरवरी। विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अभी भी यह नियम नहीं बना है। इतना ही नहीं देश में बाल विवाह जारी है। सेंटर फार सोशल रिसर्च (सीएसआर) की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक राजस्थान में अब भी बाल विवाह करने वाले लोगों का अनुपात 41 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में यह 10 फीसद और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 77.2 फीसद है।

सेंटर फार सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी के मुताबिक बाल विवाह करीबन उन सभी सामाजिक कारणों में योगदान करता है जो भारत को महिला अधिकारों के मामले में पीछे रखते हैं। जब तक इन्हें लागू करने से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से नहीं देखा जाएगा और मौजूदा कानूनी व्यवस्था के बारे में जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक बढ़ती जन्म दर, गरीबी और कुपोषण, निरक्षरता और शिशुओं की मृत्यु दर जैसी समस्याएं बनी रहेंगी।

रूढ़िवादी सोच और परंपराओं के दबाव में भी ज्यादातर लोग बाल विवाह को गलत नहीं मानते। ज्यादातर छोटे जिलों और गांवों में यह प्रथा अभी भी जारी है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2007 से सम्मानित की गई राजस्थान के झालावाड़ जिले की रहने वाली कंवर का भी तेरह साल की उम्र में ही बाल विवाह किया जा रहा था जिसका उसने विरोध किया। परंपराओं के मुताबिक उसके पिता 13 साल की उम्र में ही उसका विवाह कराना चाहते थे। लेकिन जब कांग्रेस के शिक्षकों ने घर आकर उसके भाई और पिता को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में बताया तब वे लोग यह समझ पाए कि बाल विवाह गैरकानूनी है। जहां तक बाल विवाह के गैरकानूनी होने के बारे में जानकारी होने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 प्रतिशत लोग ही इस बारे में जानते हैं। सर्वे के मुताबिक इसके विपरीत राजस्थान में ज्यादातर लोग (टोंक में 74 प्रतिशत और जयपुर जिले में 98 प्रतिशत) जानते हैं कि बाल विवाह गैरकानूनी है। मध्य प्रदेश में 71.2 प्रतिशत और भोपाल में 62.4 प्रतिशत लोग जानते हैं कि बाल विवाह करवाना अपराध है।

**परंपरा का दबाव**

- लड़कियां भुगतती हैं नतीजे
- सेहत पर सीधा प्रभाव
- नहीं होता मानसिक विकास
- जच्चा–बच्चा का पोषण नहीं

रंजना कुमारी ने कहा कि बाल विवाह का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। छोटी उम्र में शादी करने से महिला का स्वास्थ्य जीवन काफी खराब हो जाता है, विवाह के बाद छोटी उम्र में ही बच्चे पैदा होने से वे खुद को और अपने बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं दे पातीं। बाल विवाह से सही मानसिक विकास न होने के कारण महिला आत्म-निर्भर भी नहीं हो पाती।

बाल विवाह से किसी भी महिला के पूरे जीवन चक्र खराब हो सकता है। महिलाओं की मौत के करीबन 45 प्रतिशत मामले 24 साल से कम कम्र में होते हैं और इनमें से 15 प्रतिशत का कारण बच्चे के जन्म और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं को बताया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ, यूएनएफपीए और विश्व बैंक की ओर से हाल ही में तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति एक लाख बच्चों की मौत पर 450 माओं की मौत हो जाती है।

रंजना कुमारी ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए इस मुद्दे के प्रति लोगों को संवेदनशील बना कर जागरूक करने की जरूरत है। कानून में रह गई ढिलाई को ठीक करना बाल विवाह को नियंत्रित करने का महत्त्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा बाल विवाह प्रतिबंध कानून 2006 को सख्त और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। जब बाल विवाह करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तभी इस समस्या से निपटा जा सकता है। देखा जाता है कि परिवार के दबाव में आकर बाल विवाह करवाया जाता है और जो लड़का या लड़की अपने बाल विवाह का विरोध करता है उसे जबरन विवाह के लिए मजबूर किया जाता है।

# विवाह की उम्र

**ज्ञान प्रकाश पिलानिया**

मुद्दा

विधि आयोग के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एआर लक्ष्मण ने हाल ही में लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र इक्कीस से घटा कर अठारह साल करने की सिफारिश की है। आयोग ने महिलाओं के लिए सहमति से यौन संबंध की उम्र पंद्रह से बढ़ा कर सोलह साल करने और इससे कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध को बलात्कार मानने की सिफारिश की है, भले इसके लिए लड़की रजामंद रही हो या शादीशुदा हो। गौरतलब है कि अगर इसे मंजूरी मिलती है तो सोलह साल से कम उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाने पर पति को जेल जाना होगा। मौजूदा कानून के तहत पंद्रह वर्ष से कम उम्र की शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है।

बाल विवाह अधिनियम 2006 और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के बीच तालमेल बिठाने के लिए लड़कियों के लिए यौन संबंध की आयु पंद्रह से बढ़ा कर सोलह करना आवश्यक था। अब सोलह साल से कम उम्र में हुई शादी गैरकानूनी मानी जाएगी। आयोग ने यह भी कहा कि सोलह से अठारह वर्ष के बीच के लड़के-लड़कियों की शादी अगर माता-पिता की रजामंदी से की जाती है तो इसे जायज माना जाना चाहिए, बशर्ते शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों तैयार हों। फिलहाल बाल विवाह गैरकानूनी है, लेकिन अगर संपन्न हो गया तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता। कम उम्र में हुए विवाह को अमान्य घोषित किए जाने की स्थिति में महिलाओं और बेसहारा बच्चों को गुजारा भत्ता दिया जाए।

आयोग की इन सिफारिशों में दिल्ली स्थित सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के अध्ययन को आधार बनाया गया है, जिसमें राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में बढ़ती बाल विवाह की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त गई थी। रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में बाल विवाह का प्रतिशत 77.2 है जबकि राजस्थान में यह इकतालीस और उत्तर प्रदेश में दस प्रतिशत है। इसलिए विवाह की आयु घटाने की राय सामयिक है, क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में बाल विवाह होते हैं।

समाजशास्त्रियों को लड़कों की शादी की उम्र घटाने की सिफारिश सबसे ज्यादा चौंकाती है। पर आयोग की दलील है कि अठारह साल की उम्र में कोई व्यक्ति अगर देश का राजनीतिक भविष्य (मतदान) तय कर सकता है, तो अपना पारिवारिक भला-बुरा भी समझ सकता है। जब वोट देने, ड्राइविंग लाइसेंस पाने और शराब पीने की वैधानिक आयु अठारह साल है तो शादी की क्यों नहीं? लड़की अगर इतनी आयु में परिपक्व हो जाती है तो लड़के के साथ क्या दिक्कत है? पक्षधरों का यह भी मानना है कि इन सिफारिशों से महिला उत्पीड़न पर रोक लगेगी।

अब विवाह की आयु घटाने के विरोध में स्वर गूंज रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विवाह की उम्र घटाने से जनसंख्या में बेइंतहा इजाफा हो सकता है। भारत सरीखे देश में जहां जनसंख्या की समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है और तमाम आर्थिक विकास और उपलब्धियों को बौना बना रही है, वहां लड़कों की विवाह की आयु अठारह साल करने का कोई औचित्य नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि इससे बाल विवाह रोकने की दिशा में बढ़ते कदम थम जाएंगे। लड़कों की उम्र कम होने से लड़कियों की उम्र अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि परंपरा के अनुसार विवाह के लिए लड़की, लड़कों से कम उम्र की होती है। कम उम्र में शादी से समय पूर्व प्रसव की दर और गर्भपात की संभावना भी बढ़ेगी। मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में इजाफा होगा। कम उम्र में यौन संबंध बनने से यौन रोग और गर्भाशय कैंसर के मामले भी बढ़ेंगे।

जयपुर में किए गए एक सर्वेक्षण में शामिल सत्तर प्रतिशत लोगों ने लड़की की शादी करने की सही उम्र पच्चीस से अट्ठाईस वर्ष बताई है। इस उम्र तक उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। लड़का-लड़की दोनों ही मानसिक रूप से परिपक्व और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। सर्वेक्षण में शामिल नब्बे प्रतिशत लोगों का मानना है कि कम उम्र में शादी करने वाले लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस सर्वे में शामिल सभी लोगों ने अठारह वर्ष की उम्र में शादी करने पर असहमति जताई। वोट देने की उम्र को शादी की उम्र से जोड़ना ठीक नहीं है। वोट देने और शादी करने में अंतर है। वोट डालने के बाद हमारा दायित्व खत्म हो जाता है, शादी जीवन भर का दायित्व है।

विवाह की आयु घटाने को लेकर अनेक सवाल खड़े किए जा सकते हैं और ये विचारणीय भी हैं। विधि आयोग की सिफारिशों को लेकर विरोधी स्वर उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नकारने योग्य नहीं हैं। इन पर गहन विचार और बहस की जरूरत है। आयोग की सिफारिशों पर विधि मंत्रालय, कानूनविदों और समाजशास्त्रियों को मिल कर गहन चिंतन के बाद समाज के हित में उचित फैसला करना चाहिए।

# लड़की का जबरन विवाह किया तो निकाह रद्द होगा

*मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड दारूल उलूम देवबंद सहित देश भर के सौ से अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों और मदरसों के 300 से अधिक मुस्लिम विद्वानों ने इस्लामी फिकह अकादमी के तहत इस समस्या पर गौर करने के बाद यह फैसला दिया है।*

**एजेंसी. नई दिल्ली**

देश की प्रमुख इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों ने एक फैसले में कहा है कि अगर मां बाप अपनी लड़की की मर्जी के बिना उसकी कहीं शादी करते हैं तो उसे निकाह रद्द करवाने का पूरा अधिकार है।

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड दारूल उलूम देवबंद सहित देश भर के सौ से अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों और मदरसों के 300 से अधिक मुस्लिम विद्वानों ने इस्लामी फिकह अकादमी के तहत इस समस्या पर गौर करने के बाद यह फैसला दिया है।

अकादमी के महासचिव अमीन उस्मानी ने बताया कि मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद विद्वानों के बीच यह आम राय बनी कि इस्लाम में लड़की को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है और इसके लिए मां बाप या अभिभावक उस पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते।

फैसले में कहा गया है कि वयस्क होने पर लड़के और लड़की दोनों को शरियत अपनी पसंद की शादी करने और इस मामले में खुद निर्णय करने का पूरा अधिकार देती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता शरिया के प्रमुख मानदंडों में से एक है।

इसमें कहा गया कि अभिभावकों द्वारा लड़की या लड़के को ऐसे विवाह के लिए बाध्य करना जिसे वह पसंद नहीं करते सरासर अन्याय है। इसमें कहा गया कि अभिभावकों द्वारा अपने विवाह के मामले में बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने को मजबूर करना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लघन है जिसे शरियत पूरी तरह नामंजूर करती है।

लड़कियों की मर्जी के खिलाफ किए गए विवाह पर सख्त आपत्ति जताते हुए अकादमी ने अपने फैसले में कहा, अगर काजी या अन्य कानूनी इकाई इस बात से आश्वस्त हो जाती है कि अभिभावकों ने अपनी लड़की को ऐसे लड़के से शादी करने को बाध्य किया है जिसे वह पसंद नहीं करती है तो वे उस विवाह को अमान्य घोषित कर सकते हैं।

इसमें कहा गया कि अगर लड़की से निकाह के दौरान जबर्दस्ती हां कहलवाया गया है और वह इस विवाह को जारी नहीं रखना चाहती तथा तलाक की इच्छुक है लेकिन पति उसे तलाक देने को तैयार नहीं है तो काजी या कानूनी इकाई को लड़की को उसके साथ हुए अन्याय से बचाने के लिए निकाह को रद्द घोषित करने का अधिकार है। उस्मानी ने बताया कि अकादमी का यह फैसला देने वाले 300 लोगों में धार्मिक संस्थाओं के साथ ही न्यायपालिका, मेडिकल साइंस, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों से जुड़े मुस्लिम विद्वान शामिल हैं।

# अब आसान नहीं होगा तलाक लेना

- ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया नया निकाहनामा
- ई मेल, एसएमएस, फोन और इंटरनेट से होने वाले तलाक को भी मानने से इनकार
- तलाक के लिए पति और पत्नी को तीन माह का समय दिया जाएगा
- निकाह के साथ ही एक फार्म भी भरा जाएगा जो मैरिज ब्यूरो में जमा होगा तथा इस पर पति-पत्नी और काजी के हस्ताक्षर होंगे
- निकाह के वास्ते 17 हिदायतें दी गई हैं तथा आठ हिदायतें तलाक के लिए
- ऊर्द के साथ हिन्दी में भी जारी

**लखनऊ,** 16 मार्च (एसएनबी)। आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल ला बोर्ड ने आज महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिये जाने को लेकर पवित्र कुरान के हिसाब से नया निकाहनामा जारी किया जिसमें तीन बार तलाक कहना अब आसान नहीं होगा और ऐसा कहने मात्र से ही तलाक नहीं होगा। मुस्लिम महिला पर्सनल ला बोर्ड ने ई मेल, एसएमएस, फोन और इंटरनेट से होने वाले तलाक को भी मानने से इनकार किया है तथा कहा है कि अब तलाक के लिए पति और पत्नी को तीन माह का समय दिया जाएगा कि वह इस बीच अपने विवाद खत्म कर लें। यदि इस तीन माह में भी विवाद खत्म नहीं होता तो ही तलाक होना माना जाएगा। इस तीन महीने के दौरान पति-पत्नी साथ रहेंगे।

आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल ला बोर्ड का मानना है कि इस नये निकाहनामे में महिला और पुरुष को बराबर के अधिकार दिये गये हैं। निकाह के साथ ही एक फार्म भी भरा जाएगा जो मैरिज ब्यूरो में जमा होगा तथा इस पर पति-पत्नी और काजी के हस्ताक्षर होंगे। अगर किसी तरह का विवाद होता है तो यह एक

■ नया निकाहनामा जारी करतीं बोर्ड की अध्यक्ष शाईस्ता अंबर (बाएं)।

कानूनी दस्तावेज होगा।

इस नये निकाहनामें में आपसी सहमति से तलाक होने पर शौहर द्वारा किये जाने वाले खर्च और दी जाने वाली मेहर की रकम पर भी विस्तार से लिखा गया है। नये निकाहनामे को जारी करते हुये आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाईस्ता अम्बर ने आज संवाददताओं से कहा कि यह आल इंडिया पर्सनल ला बोर्ड द्वारा जारी किये गये माडल निकाहनामे से पूरी तरह अलग है तथा इसमें मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि कुरान में भी महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने की बात कही गयी है। उन्होंने कहा कि माडल निकाहनामा ऊर्दू में है जबकि इस नये निकाहनामे को ऊर्दू के साथ हिन्दी में भी जारी किया गया है ताकि यह सामान्य लोगों की समझ में आ सके या वैसी मुस्लिम महिलाओं को भी जानकारी दे सके जिन्होंने ऊर्दू की शिक्षा नहीं ली है। श्रीमती अम्बर ने कहा कि इस नये शरीयत निकाहनामे का उद्देश्य लड़कियों के जीवन को और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आये हैं जिसमें शौहर के परिवारवालों ने लड़कियों पर अत्याचार किये। आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के 2005 में जारी किये गये माडल निकाहनामे में तीन बार तलाक कहने के मामले पर कोई बात नहीं कही गयी थी तथा महिलाओं की सुरक्षा के मामले पर भी कुछ नहीं कहा गया था। माडल निकाहनामे में नाबालिग की शादी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं आया है।

# 'अपने' ही बने इज्जत के लुटेरे

**नई दिल्ली,** 2 जनवरी (एसएनबी)। महिलाओं के लिए असुरक्षित बनती जा रही राजधानी दिल्ली में महिलाओं को स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त डडवाल के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है लेकिन इसके लिए महिला को स्वयं भी सशक्त बनना होगा क्योंकि महिला को सबसे ज्यादा खतरा अपनों से ही होता है। वर्ष 2007 में रेप के 581 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 98 फीसद से अधिक मामलों में रेप करने वाला महिला का परिचित था।

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों की माने तो महिलाओं को सबसे अधिक खतरा उनके अपनों से ही होता है। जारी किए गए वार्षिक आंकड़ों में इस वर्ष रेप के मामलों में 4.6 फीसद घटौती हुई है। वर्ष 2006 में जहां 609 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2007 में 581 मामले दर्ज किए गए। कुल दुष्कर्म के मामलों में से 95.18 फीसद मामले सुलझाए गए जबकि पिछले वर्ष 93.92 फीसद मामले सुलझे थे। रेप के मामलों में कुल 581 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से 62 महिला के रिश्तेदार, 94 मित्र, 340 पड़ोसी, 17 साथ काम करने वाले थे, जबकि केवल 10 लोग महिला के लिए अनजान थे।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपितों में से 68 फीसद अनपढ़, 24 फीसद 10 पास, जबकि केवल 1.9 फीसद स्नातक हैं। इनमें 80 फीसद से अधिक आरोपित गरीब तबके के हैं। इनमें से 64 फीसद वारदात को घर में अंजाम दिया गया, 5 प्रतिशत जे.जे कॉलोनी में, जबकि 31 फीसद अन्य जगहों पर। दुष्कर्म की सबसे अधिक घटनाएं सुल्तानपुरी, गोकुलपुरी और नंद नगरी में हुई। दिल्ली के 19 थानों में इस वर्ष रेप का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ।

- साल 2007 में राजधानी में दर्ज हुए रेप के 581 मामले
- 98 फीसद मामलों में परिचित ने लूटी अस्मत
- सुल्तानपुरी, गोकुलपुरी और नंदनगरी में हुई दुष्कर्म की सबसे अधिक घटनाएं

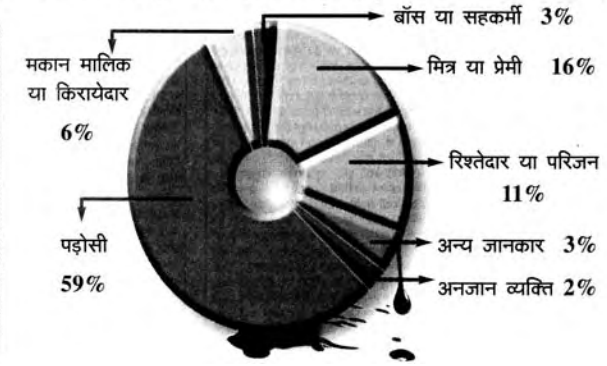


# सुरक्षित नहीं हैं दिल्ली की महिलाएं

**शेखर घोष. नई दिल्ली**

महिलाओं के चतुर्मुखी विकास के लिए समर्पित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करने की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन महिलाओं के उत्थान, आरक्षण, सुरक्षा और न्याय दिलाने के सरकारी दावों के बावजूद हकीकत में उनकी स्थिति में खास बदलाव नहीं आया। महिलाओं की असुरक्षा के मामले में आज भी दिल्ली का नाम शीर्ष पर है। अशिक्षा और कुपोषण के आंकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं है। दिल्ली के एक प्रख्यात एनजीओ द्वारा महिलाओं की स्थिति पर किए गए सर्वे के अनुसार हर तीन में एक मीहला आज भी निरक्षर है। पढ़ना-लिखना तो दूर ये महिलाएं अपने हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाने को मजबूर हैं।

घर में भी महिलाओं के प्रति नजरिए में वांछित बदलाव नहीं आया है। आज भी पुरुषों की अपेक्षा उन्हें दोयम दर्जा प्राप्त है। आज बी घरों में पुरुष सदस्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। घरेलू महिलाओं में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। एक आदर्श बेटी, मां और बहू बनने की अपेक्षा रखने वाले उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाओं के प्रति बेखबर रहते हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण के कारण ज्यादातर महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं दे पातीं, यहां तक कि कई महिलाएं प्रसव के दौरान ही दम तोड़ देती हैं।

कहीं जन्म लेने से पहले ही भ्रूण परीक्षण के नाम पर उन्हें खत्म कर दिया जाता है तो कहीं दहेज के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है। महिलाओं के हित में बने कानून की परवाह किए बिना उन पर अत्याचार का सिलसिला जारी है।

राजधानी में विभिन्न वर्गों से जुड़ी प्रतिनिधि महिलाओं का मानना है मदर्स डे और वुमेंस डे पर आयोजित औपचारिक समारोह आज महिलाओं के सम्मान और उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने जैसे लगते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए आज सरकारी और सामाजिक स्तर पर गंभीर प्रयासों की जरूरत है। आज बैटर हाफ कहने की जगह उनके प्रति सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या उनकी सुरक्षा को लेकर है।

वुमेंस डे की सार्थकता के लिए जरूरी है दिल्ली का पुलिस महकमा और सरकार प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाएं जिससे महिलाएं घर और बाहर अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

### महिल अपराध संबंधी आंकड़े

- देश में हर 26 मिनट में लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है
- देश में हर 34 मिनट में किसी महिला के साथ बलात्कार होता है।
- देश में हर 42 मिनट में घर, कार्यस्थल, विद्यालय या घर के बाहर महिलाओं या लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होती है।
- देश में हर 93 मिनट में दहेज के लिए किसी महिला को जिंदा जला दिया जाता है या मार दिया जाता है।

देश में छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता

# साझा मोर्चे की तैयारी में महिला संगठन

**शर्म दिवस**

**500 संगठन मिलकर मनाएंगे राष्ट्रीय शर्म दिवस**

**गृह मंत्रालय को ब्यौरा सौंपने की तैयारी**

■ प्रतिभा ज्योति

**नई दिल्ली।** नए साल के आगमन से ठीक पहले मुंबई में दो एनआरआई युवतियों से छेड़छाड़, केरल के कुमारकोम में कनाडा की दो किशोरी पर्यटकों से बदसुलूकी, शुक्रवार को गोवा में रूसी महिला से छेड़खानी और शनिवार को मुंबई में एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर से डॉक्टर का दुर्व्यवहार।

नए साल में शुरू हुआ यह सिलसिला पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा बढ़ती घटनाओं से तंग आकर महिला संगठनों ने साझा मोर्चा लेने की तैयारी कर ली है। यह संगठन अब राष्ट्रीय शर्म दिवस मनाएंगे। देश में बढ़ रही छेड़खानी की घटनाओं के मद्देनजर पांच सौ महिला संगठनों का साझा मंच वूमेन पावर कनेक्ट जल्द ही राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में राष्ट्रीय शर्म दिवस मनाने जा रहा है।

संगठन ने हाल में ही अपनी बैठक में इस बारे में फैसला किया। शर्म दिवस में बड़े पैमाने पर महिलाओं को शामिल करने के लिए गांव-गांव जाकर उन्हें तैयार किया जाएगा। छेड़खानी को लेकर वूमेन पॉवर कनेक्ट ने पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। वह छेड़खानी के संदर्भ में पुलिस की नाकामी और लापरवाही को लेकर गृह मंत्रालय को ब्यौरा सौंपने जा रहा है। इसके लिए गांव से लेकर शहरों तक में होने वाली छेड़खानी की घटनाएं और उससे महिलाओं और लड़कियों के मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

इस साझा मंच की अध्यक्ष रंजना कुमारी का कहना है कि महिलाओं को वस्तु समझने वाले और उन पर यौन आक्रमण करने वालों को हमारे शोरशराबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ऐसी मानसिकता वाले पुरुषों पर शर्म तो आ ही सकती है। उनका कहना है कि हम कैसे देश में रहते हैं जहां लोगों को यह समझाना पड़ता है कि आप महिलाओं की इज्जत कीजिए और विदेशी पर्यटक महिलाओं को महफूज उनके देश लौटने दीजिए।

### महफूज नहीं महिलाएं

2007

- 634 मामले दर्ज हुए छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के
- 110 शिकायतें कार्यस्थल पर महिलाओं से छेड़छाड़ के
- 244 मामलों में तो पुलिसकर्मी शामिल थे

**"छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को भी दुष्कर्म के बराबर ही सजा दी जाए। आईपीसी की धारा 375-376 के तहत दुष्कर्म के लिए सात साल की सजा का प्रावधान है। तो क्यों न छेड़खानी के लिए भी यही सजा मुकर्रर कर दी जाए"**

-गिरिजा व्यास (राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष)

# सुरक्षा का सवाल

## विनय जायसवाल

आधी दुनिया

महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा के आंकड़े अधूरे सच का बयान करते हैं। आंकड़ों में सिर्फ किसी तरह प्रकाश में आ पाई घटनाओं का ही ब्योरा होता है। इससे कई गुना अधिक घटनाएं दबी रह जाती हैं। हम जिस सामाजिक ढांचे में रहते हैं, उसमें कई बार लोकलाज के कारण महिलाएं अपने ऊपर हुए अत्याचार को सामने नहीं लाना चाहतीं, फिर कानूनी जटिलताएं और पारिवारिक-सामाजिक दबाव भी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। हालत यह है कि आज भी महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ को महज एक साधारण समस्या माना जाता है और उसकी गिनती अपराध में नहीं की जाती।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जिस तथाकथित शिक्षित और सभ्य नागर समाज में रह रहे हैं, वहां आज भी महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं। दरअसल, अगर महिलाओं के प्रति सामंती मानसिकता से लेकर लोकतंत्र तक का सफर तय करने के बीच हममें कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो कहीं न कहीं यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और जीवनशैली की विफलता है। जिस तरह से आज स्कूल और कॉलेज डिग्री और नौकरियां दिलाने वाली दुकान बनते जा रहे हैं, इस परिवेश से और क्या उम्मीद की जानी चाहिए।

महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी अध्ययन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि अवसादग्रस्त, मनोरोगी, कुंठित, तनावपूर्ण माहौल में बड़े होने वाले, बचपन में हिंसा के शिकार, शराबी, शक्की और प्रभावी बने रहने की इच्छा रखने वाले पुरुष ही ज्यादातर महिलाओं के विरुद्ध जबरदस्ती या हिंसा करते हैं।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार देश में हर घंटे अठारह बलात्कार, अपहरण और छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। रोजाना बलात्कार की दर सात से बढ़ कर तिरपन हो गई है। महिला उत्पीड़न के सभी मामलों में तीन सौ फीसद तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि 1971 से 2006 के बीच बलात्कार के मामलों में सात सौ प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अकेले 2006 में दर्ज बलात्कार के 19 हजार 348 मामलों में से 8.2 प्रतिशत पीड़ितों की उम्र पंद्रह वर्ष से कम थी। महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में दस लाख से अधिक आबादी वाले पैंतीस शहरों में 4134 मामलों के साथ दिल्ली की स्थिति दयनीय बनी हुई है तो हैदराबाद दूसरे स्थान पर है। इसी तरह राज्यों में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर।

जब आंकड़े भारत में महिलाओं की इतनी दयनीय तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं तो आसानी से समझा जा सकता है कि वास्तविक तस्वीर क्या होगी? महिलाओं को देवी या लक्ष्मी कह कर भरमाने के दिन लद गए। उन्हें मां, बेटी, पत्नी और बहन के अलावा व्यक्तिगत पहचान भी चाहिए। समाज उन्हें यही पहचान हासिल नहीं करने देता है। जाहिर है इसके पीछे हमारी पितृसत्ता की भावना काम कर रही है। कहीं न कहीं आज भी उन्हें सुरक्षा, इज्जत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाम पर अपने सपनों से समझौता करने को कहा जाता है।

यह भी तर्क दिया जाता रहा है कि महिलाओं के बाहर निकलने या रात में नौकरी करने के कारण उनका उत्पीड़न बढ़ा है। अगर यह सच है तो घर की चारदीवारी को चीर कर होने वाले दुष्कर्म के बारे में समाज के कथित ठेकेदारों के पास क्या जवाब है?

निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी को उनकी स्वतंत्रता के विरुद्ध ढाल बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से मीडिया का विस्तार हो रहा है और लोगों में जागरूकता आ रही है, उससे ऐसी दलीलों का कोई भविष्य नहीं दिखता।

आज तक हमारे देश में महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रस्तावित मसौदा कानून बनने की प्रक्रिया से गुजर नहीं पाया है। निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना भी नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि कुछ ही समय में हमारे जैसे देश अपने यहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पूरी कर लेंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का ढिंढोरा भर पीटते रह जाएंगे।

महिलाओं के उत्पीड़न, उनके विरुद्ध हिंसा पर पुनर्विचार और छेड़छाड़ को भी अपराध के दायरे में लाए जाने की जरूरत है। महिला उत्पीड़न के मीडिया और इंटरनेट या मोबाइल संस्करण के प्रति प्रावधान को कठोर करने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा समाज में सुरक्षित माहौल बनाने की आवश्यकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। इसके लिए समाज की मानसिकता और सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षित समाज की उम्मीद पुलिसिया खौफ के साए में नहीं की जा सकती है। इसलिए लोकतंत्र के बाकी स्तंभों के अलावा सबसे ज्यादा अपेक्षा मीडिया से है, जिसे किसी भी तरह के महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सामने लाने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बड़े मामलों को उजागर कर उसमें न्याय सुनिश्चित कराने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

# लड़की सुरक्षित क्यों नहीं है

चाहे जो कहिए

अलका सरावगी

वह लगभग छब्बीस वर्ष की है। उसकी हल्की-सी काया जैसे हवा से बनी हुई है। यह कल्पना करना आसान है कि जब वह आठ-नौ साल की रही होगी, तो कितनी प्यारी, कितनी नाजुक रही होगी, पर यह कल्पना दिल को दहशत में डालती है कि उस कच्ची उम्र में किसी शख्स ने- शायद किसी रिश्तेदार या पड़ोसी या शिक्षक ने- उसके साथ बलात्कार किया होगा या करने की कोशिश की होगी।

जिस अनुभव ने दुनिया पर उसका विश्वास तोड़ा है और उसकी आंखों में सदा के लिए आशंका की छाया रख छोड़ी है, उसकी साझेदारी ने हम दोनों की एक अलग दुनिया बना दी है। उसके भरोसे को बनाए रखना मुझे प्रार्थना करने जैसा लगता है। इसलिए उससे उस हादसे- जिसके बारे में उसके मां-बाप भी नहीं जानते- की बात करना या कुछ और पूछना मुमकिन नहीं है। वह जब जितना चाहेगी, बोलेगी।

इस साल महिला दिवस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल (इंडिया) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार स्कूल जाने वाली लड़की दुनिया भर में कहीं सुरक्षित नहीं है। उसके साथ छेड़छाड़, यौन-शोषण और शारीरिक दंड की घटनाएं स्कूल में या स्कूल से घर आने-जाने के बीच में कहीं भी घट सकती हैं। यह कहा जा सकता है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां लड़की को डांट-मार से बचने या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षक की कामुकता का शिकार नहीं होना पड़ा हो। जाहिर है, गरीब देशों में लड़की ज्यादा असुरक्षित होगी, पर अमेरिका और यूरोप के देशों में भी उसे घात लगाए शिक्षकों और सहपाठियों का सामना करना पड़ता है। एमनेस्टी ने एक सर्वेक्षण को उद्धृत करते हुए बताया है कि अमेरिका में बारह से सोलह साल की तिरासी फीसद लड़कियों को पब्लिक स्कूलों में किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न से गुजरना पड़ा है।

भारत में गरीब लड़की निचली जाति की हो और शहरी विकास की अपेक्षाकृत सुरक्षा के बाहर हो, तो शायद वह दुनिया की सबसे असुरक्षित लड़की होती है। उसकी रक्षा करने के लिए न सरकार आगे आती है न पुलिस क्योंकि अक्सर वे अत्याचारी को बचाने में लगे होते हैं। ऐसे किस्से अखबारों में रोज पढ़ने को मिलते हैं। हाल में गुजरात में पाटन शहर में एक अठारह साल की दलित लड़की के साथ छह शिक्षकों द्वारा सामूहिक बलात्कार किए जाने का किस्सा सामने आया है, जिन्होंने उसे बात न मानने पर फेल करने की धमकी दी थी। पैसे और जाति की ताकत के पलड़े पर लड़की हमेशा इतनी कमजोर ठहरती है कि उसका साथ कोई नहीं देता- कई बार समाज और परिवार भी नहीं। भ्रूण-हत्या और दहेज-हत्या के बीच की उम्र में ऐसी लड़की बहुत आसानी से हवस का शिकार बनती है।

टीवी पर बिहार के प्रोफेसर मटुकनाथ का अपनी छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग- पत्नी के प्रेमिका को पीटने के फुटेज के साथ- बहुत महत्त्वपूर्ण खबर की तरह देखना सबकी स्मृति में होगा। एक शिक्षक के प्रति विद्यार्थी के मन में जो सम्मान और राह पाने की उम्मीद होती है, उसका दोहन कर शिक्षक किसी लड़की को गुमराह कर सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों में शोध कर रही लड़कियों का भी जिक्र है, जिन्हें मजबूरन शिक्षा का मोल इस तरह चुकाना पड़ता है। मेरी जानकारी में हिंदी में दो उपन्यास ऐसे हैं जिनका विषय यही है।

एक नाबालिग लड़की का किसी शिक्षक के द्वारा यौन-शोषण अपने आप में धोखे की एक ऐसी घिनौनी कथा है, जिसके लिए कोई दूसरी तुलना खोजना मुश्किल है। जब हम बहनें बड़ी हो रही थीं, तो यह अटपटा लगता था कि किसी पुरुष शिक्षक के साथ हमें मां-बाप कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। अभी हाल में एक सहेली ने बताया कि उसकी सत्रह साल की लड़की के साथ उसे विज्ञान पढ़ाने वाला घरेलू शिक्षक छेड़छाड़ करता था, जिसे काफी दिन बाद लड़की ने रो-रोकर मां को बताया। आज के जमाने में एक मध्यवर्गीय शहरी लड़की की इस तरह शिकायत करने में झिझक के पीछे जाने कितनी आत्मविश्वास की कमी रही होगी, जिसका फायदा वह शिक्षक उठाता रहा होगा।

मुंबई के नजदीक एक अंग्रेजी माध्यम के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा तीसरी और चौथी कक्षा की लड़कियों को ट्यशन के बहाने घर बुला कर छेड़छाड़ का मामला भी कुछ दिन पहले मुंबई के एक अखबार में पढ़ा। इन बच्चियों के कोमल मन पर सारी उम्र के लिए किस तरह का मानसिक और संभवतः शारीरिक आघात पहुंचा होगा, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। लड़कियों के यौन-शोषण पर 'राही' नामक एक एनजीओ ने रपट प्रकाशित की है जिसके अनुसार परिवार के बाहर जान-पहचान में इस तरह के दस प्रतिशत मामलों में अपराधी पुरुष शिक्षक होता है।

घरों में काम करने वाली नाबालिग लड़कियों के यौन-शोषण के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, तो शायद वे अत्यंत शर्मनाक होंगे। पुणे में एक बारह साल की नेपाली लड़की को बलात्कार के साथ मारपीट से असह्य शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की रपट पढ़ने से पता चलता है कि अपने को सभ्य दिखाने वाला मध्य वर्ग किस कदर अमानुषिक हो सकता है।

लड़की अपना बचाव उसी तरह नहीं कर सकती जिस तरह अकेले रहने वाले वृद्ध दंपती। अकेले बूढ़े अक्सर शहरों में मारे जाते हैं या उन पर आक्रमण होता है, जिसमें उन्हें मारपीट कर लूट लिया जाता है। तो क्या हमारी दुनिया कहीं भी किसी कमजोर को पाकर उसे खत्म करने में किसी जंगली पशु की तरह बर्बर हो उठती है?

कहीं ऐसा तो नहीं कि तकनीकी विकास और आईटी के युग में हमारी आदिम वृत्तियां ज्यादा प्रबल हो उठती हैं? या यह भी एक तरह का उपभोक्तावाद है जो घर के अंदर और बाहर असुरक्षित लड़की का इस्तेमाल अपने फायदे और सुख के लिए करता है। ऐसा करते हुए वह इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि उसकी क्रूरता और स्वार्थपरता से उस लड़की के शरीर और मन पर हमेशा के लिए कितने घाव बन जाएंगे।

मनुष्य का विकास अगर सीधी सरल-रेखा और तर्कसंगत तरीके से होता, तो अब तक स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के आंदोलनों के कई दशकों बाद लड़की को इस कदर असुरक्षित नहीं रहना चाहिए था। अब तक एक ऐसा मनुष्य गढ़ा जा चुका होता, जो लड़कियों को वह खौफरहित माहौल देता, जिसमें वे चैन से हंसते-गाते बड़ी होतीं, जिसमें उन्हें इस आशंका में नहीं जीना पड़ता कि रिश्तेदार या शिक्षक के भेष में कोई उन्हें कभी भी चोट पहुंचा सकता है।

औरतों की स्वतंत्रता का मसला इस असुरक्षा से इतने गहरे जुड़ा है कि हर लड़की की मां पर यह दबाव काम करता है कि उसके अपने कैरियर के चक्कर में घर में उसकी लड़की बरबाद हो सकती है। एक परिचित महिला डॉक्टर, जिसके दो लड़के हैं और कोई लड़की नहीं है, इस बात को स्वीकार करती है कि अगर उसके लड़की होती तो उसके लिए कैरियर के इस मुकाम पर पहुंचना मुश्किल होता। दूसरी तरफ हमारे घर में छुट्टा काम करने वाली औरत अपनी पंद्रह साल की सुंदर लड़की को सुबह दस बजे एक किलोमीटर दूर सिलाई स्कूल में भेजना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है कि उसके साथ कुछ अघटित घट सकता है। अब कोलकाता भी इस कदर असुरक्षित हो गया है। शायद पंद्रह साल पहले स्थिति ऐसी न थी।

मुझे याद है कि जब मेरी बेटी सात-आठ साल की थी, तो हमारी बहुमंजिली इमारत की लिफ्ट के बाहर हमारी मंजिल पर उसके लिए किसी ने कोई अश्लील इबारत लिख दी थी। हम इतने आशंकित हो उठे थे कि हमें लिफ्टमैन, दरबान, नौकर से लेकर हर अड़ोसी-पड़ोसी में खूंखार दरिंदा छिपा हुआ नजर आने लगा था। बच्ची को नीचे खेलने जाने से रोकने से लेकर हर समय घर में रोके रहने का पूरा दबाव मुझ पर कई महीनों तक बना रहा था। इस एक इबारत ने हमारे घर में आपस के और बाकी दुनिया से हमारे रिश्ते बदल डाले थे।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रपट में लड़की के लिए सुरक्षित स्कूल की मांग की गई है और तमाम देशों की सरकारों को यह दायित्व सौंपा गया है। लेकिन सोचने पर लगता है कि क्या सरकार, कानून और पुलिस आदमी के भीतर की दरिंदगी को काबू में कर सकते हैं? आश्चर्य तो यह है कि धर्म भी आज तक यह काम नहीं कर पाया है। रामायण में सीता और महाभारत में द्रौपदी औरत की बेइज्जती और उसके साथ जबर्दस्ती करने से पुरुष की बरबादी की कथा कहती है, पर इसके बावजूद आम जीवन में औरत या लड़की हमेशा असुरक्षित रहती आई है।

लड़की या नारी की स्वतंत्रता का मसला एक स्वस्थ मानसिकता के समाज से जुड़ा है। दुनिया अगर क्रूर, हिंसक और अमानवीय रहती है, तो उसमें लड़की कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। एक संवेदनशील समाज ही लड़की की इज्जत, गरिमा और उसके मानवीय अधिकारों की रक्षा कर सकता है। सवाल यही है कि यह दुनिया आखिर बनेगी कैसे? 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते' कहकर स्त्री की पूजा का आग्रह करने वाला समाज या 'लेडीज फर्स्ट' की हिमायत करने वाला समाज भले ही यथार्थ में ऐसा न पाए हों, पर उस स्वस्थ संवेदनशील समाज की पहचान तो कराते हैं।

अभी चारों ओर मीडिया और फिल्मों में नाबालिग लड़की और स्त्री के शोषण की तमाम तस्वीरें परोसी जा रही हैं। पर समाज की संवेदनशीलता बढ़ाने का उनका घोषित मकसद कहीं पूरा होता नहीं लगता है। यह सब कुछ अंततः मनोरंजन का ही एक हिस्सा बनकर बिखर जाता है।

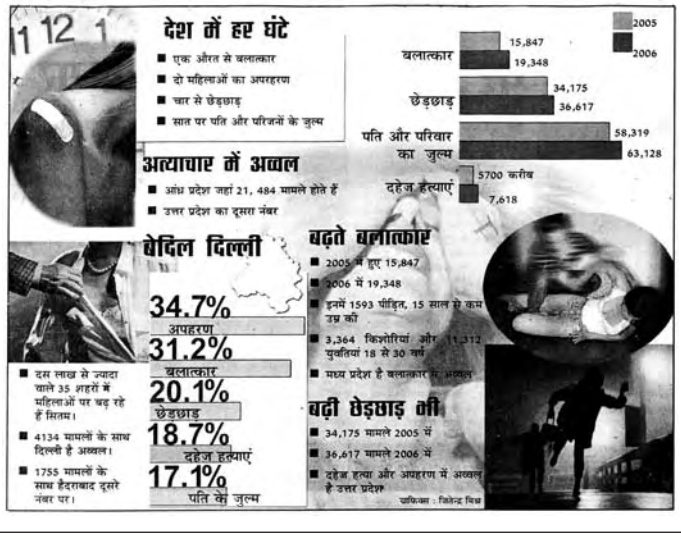


# महिलाओं पर जुल्म की बदरंग तस्वीर

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। हर घंटे जिस रफ्तार से घड़ी की सुई टिक-टिक करती हुई आगे बढ़ती है उसी रफ्तार में देश में महिलाओं पर क्रूरता का सिलसिला बढ़ता जाता है। हालिया राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर घंटे दो बालात्कार, दो अपहरण, चार छेड़खानी और पतियों या संगे-संबंधियों द्वारा सात महिलाओं को मारने-पीटने की घटनाएं होती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक वर्ष 2006 में औसतन हर घंटे 18 महिलाएं क्रूरता की शिकार हुईं। इससे भी परेशान करने वाली बात यह है कि इस तरह की घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है।

- भारत में हर घंटे 18 महिलाएं क्रूरता की शिकार
- आंध्र प्रदेश सबसे आगे, उप्र दूसरे नंबर पर

राज्यों के स्तर पर देखें तो वर्ष 2006 में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहा। वहां पर 21,484 मामले सामने आए जो पूरे देश में होने वाले अपराध का 13 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है जहां पर पूरे राष्ट्रीय अपराध के 9.9 प्रतिशत मामले सामने आए। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में एक ब्रिटिश पत्रकार के साथ बालात्कार और आर्थिक राजधानी मुंबई में नववर्ष की पूर्व संध्या पर दो युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटना ने एक बार फिर इस बारे में कठोर कानून की जरूरत महसूस कराई है। महिलाओं के प्रति अपराध में हर वर्ष बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2003 से 2006 के बीच बालात्कार के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दस लाख से अधिक आबादी वाले 35 शहरों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शीर्ष पर रहा।

दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4134 मामले दर्ज किए गए जो पूरे देश में होने वाले अपराध का 18.9 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर हैदराबाद रहा, जहां 1755 मामले दर्ज हुए। दिल्ली में होने वाले अपराधों में 31.2 बालात्कार के मामले, 34.7 अपहरण, 18.7 दहेज हत्या, 17.1 मामले में पतियों व रिश्तेदारों द्वारा मारने-पीटने और 20.1 प्रतिशत मामले छेड़खानी से जुड़े हुए थे।

# आखिर आया लड़कियों का ख्याल

**कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी सिफारिशों में विधि आयोग ने लड़कियों के प्रति होने वाली यौन हिंसा पर भी सिफारिशें पेश की हैं। मौजूदा कानून में व्याप्त विसंगतियों और क्रियान्वयन में खामियों का भी आयोग ने ध्यान रखा है। मगर आयोग की सिफारिशें सर्वस्वीकार्य नहीं हैं।**

## यौन संबंधों पर सहमति बदलता कानून

| वर्ष | सहमति की उम्र |
|---|---|
| 1860 | 10 साल |
| 1891 | 12 साल |
| 1925 | 14 साल |
| 1940 | 16 साल |

*संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के मुताबिक एक साल में कभी भी 89 से ज्यादा बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कुरीति यहां की संस्कृति से जुड़ी हुई है। सख्त कानून जरूरी है*

**मौजूदा कानूनः-** 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध बनाना आईपीसी की धारा 375 के तहत अपराध है। मगर इसी उम्र की लड़की से विवाह को अवैध नहीं ठहराया गया है

इस आधार पर 15 साल की लड़की से विवाह कर यौन संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति सजा से बच जाते हैं

**नई सिफारिशः-** विवाह से पहले या बाद में यौन संबंधों पर सहमति देने के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 16 साल की जाए। इससे कम उम्र की लड़कियों के विवाह अवैध घोषित कर दिए जाएं

यह सिफारिश स्वीकार कर अगर सरकार कानून में संशोधन करती है तो 16 साल से कम आयु की लड़कियों से शादी करने वालों को भी बलात्कार के आरोप में 7 साल की सजा

**बाल विवाह राज्यों का हाल**

| झारखंड | बिहार | राजस्थान | आंध्र प्रदेश | उत्तर प्रदेश |
|---|---|---|---|---|
| 61.2% | 60.3% | 57.1% | 54.7% | 53% |

### टेक- 1

अरेरा कॉलोनी निवासी मंजूलता/संजय सिन्हा ढाई साल की बच्ची के लिए खिलौनों की दुकान से एक खिलौना खरीद रहे थे। वे चाहते थे कि बच्ची के लिए बेहतरीन खिलौना लिया जाए, इसी दौरान वहां बैठे बुजुर्ग सज्जन ने दंपति को सलाह देते हुए कहा लड़की है, इसके लिए यह गुड़िया ठीक रहेगी, खरीद लीजिए। संजय सिंह का चेहरा देखने लायक था।

### टेक- 2

अनामिका चौधरी बताती है कि वे गणित विषय में काफी अच्छी थीं, लेकिन टीचर्स का सहयोग उन्हें नहीं मिल सका। गणित समझाते वक्त टीचर्स ने कभी भी लड़कियों को तवज्जो नहीं दी। उनका पूरा ध्यान लड़कों की तरफ ही था। एक बार तो गणित के टीचर ने यहां तक कह दिया कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें इंजीनियर थोड़े ही बनना है।

**राधेश्याम दांगी, भोपाल**

ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि समाज में आज भी लिंग भेद कायम है और इसकी झलक अकसर लोगों के व्यवहार में मिल जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, हालांकि कभी हम इन पर सोच-विचार नहीं करते।

### बचपन से पड़ जाती है नींव

लड़का और लड़की का भेद बचपन से बच्चों के मन में बिठा दिया जाता है। समाज के द्वारा बालमन में इस तरह की भेदभाव वाली सोच ठूंस दी जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालमन में घुसा यह 'व्यावहारिक भेदभाव' बड़े होने के बाद उनके मन व दिमाग से निकालना मुश्किल हो जाता है।

### हम सब जिम्मेदार हैं

प्रोफेसर मनीषा चौहान का कहना है कि समाज में जो कुछ भी होता है उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। इसकी जिम्मेदारी समाज का निर्माण करने वाले हर व्यक्ति की होती है। लड़के और लड़की में भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा।

### सोच बदलना है जरूरी

शिक्षाविदों के अनुसार बच्चे का मन कच्चे घड़े के समान होता है उसे जैसा आकार दिया जाएगा वह वैसा ही बनेगा। बच्चे के सही विकास के लिए हमें पहले हमारी नकारात्मक और भेदभावपूर्ण सोच को खत्म करना होगा।

### जैसा परिवेश वैसा समाज

बच्चों को जैसा परिवेश मिलेगा, वैसा ही समाज होगा। लड़के-लड़की के बीच भेदभाव की रेखा मिटाने के लिए माता-पिता को ही पहल करना होगी। आम व्यवहार से लेकर बोलचाल की भाषा का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। उनकी जीवनशैली को रचनात्मक बनाने के लिए हमें परिवार में ही भेदभावपूर्ण मानसिकता से छुटकारा पाना होगा।

**- अमिता चपरा**
सदस्य, मप्र राज्य महिला आयोग, भोपाल

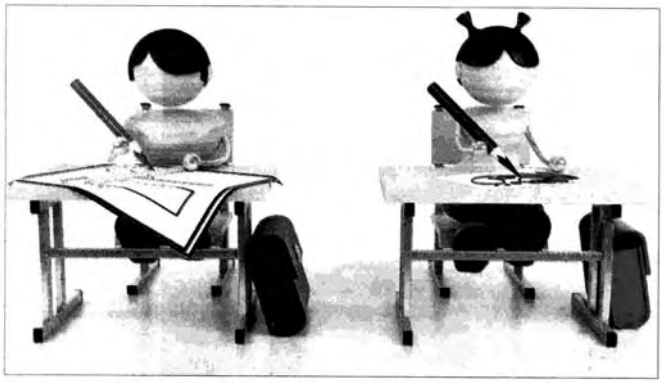

# घर ही में है भेदभाव की नींव

**पहल**

विजय चौक से इंडिया गेट के बीच रविवार को कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में रैली निकाली गई। इस दौरान तख्ती में लिखे नारे के माध्यम से जागरूकता संदेश देती एक छात्रा। अमर उजाला

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ निकाली रैली

# हम भी रोशन करेंगी देश का नाम

**नई दिल्ली।** कन्या भ्रूण संरक्षण आज के दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जहां स्त्री-पुरुष समानता की बात की जा रही है वहीं देश में स्त्री-पुरुष अनुपात कम होता जा रहा है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए वोट क्लब पर सैकड़ों बच्चियों ने एक रैली का आयोजन किया। छोटी-छोटी बच्चियां हाथ में तख्तियां लिए हुए कन्या श्राप नहीं वरदान है आदि नारे लगा रही है। बच्चियों ने कहा एक दिन हम सोनिया, सानिया, किरण बेदी भी हम ही बनेंगे। लड़का-लड़की एक समान के सूत्रवाक्य को भावी पीढ़ी के जेहन में बिठाने के लिए रविवार को स्कूली बच्चियों ने एक रैली का आयोजन किया। इसमें अनाथालय के आश्रय में पल रहे बच्चे भी शामिल हुए। रैली का आयोजन गैर सरकारी संगठन 'फेथ एक विश्वास' ने किया था।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पिछले सप्ताह 51वां ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्सट्रैटिक्स एंड गायनेकॉलोजी (आईकॉग) सेमिनार का भी आयोजन किया गया था जहां विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों ने शिरकत की थी।

यहां यह बात सामने आई कि औरतों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना पड़ेगा। संस्था के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल ने बताया कि गरीबी और अशिक्षा से भ्रूण हत्या का कोई मेल नहीं है। सबसे ज्यादा यह समस्या शिक्षित वर्ग में ही व्याप्त है। उन्होंने बताया कि संस्था झुग्गी झोपड़ियों के पांच सौ बच्चियों को पढ़ाई के खर्च के लिए पांच सौ रुपया देने का योजना बनाई है जिसे जल्द अपनाया जाएगा।

श्रीमती शीला दीक्षित
मुख्यमंत्री, दिल्ली

लाडली

डॉ. योगानन्द शास्त्री
महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली

**पढ़ेगी, बढ़ेगी, नाम रोशन करेगी**

**अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्रीमती शीला दीक्षित माननीय मुख्य मंत्री, दिल्ली द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया जाएगा।**

**दिनांक : 7 मार्च 2008 स्थान : इंडिया गेट लॉन्स**

**समय : प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक स्त्री पर्व आयोजित किया जा रहा है।**

अगर आपके घर बेटी का जन्म हुआ हो और आपकी सालाना आय 1 लाख रुपये से कम हो तथा आप दिल्ली में पिछले 3 साल से रह रहे हों, तो शीघ्र ही अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय/आँगनबाड़ी केन्द्र/चुनिंदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करें और जमा कराइए और योजना का लाभ उठाइए, उन्हें पढ़ाइए, बढ़ाइए, उनका जीवन बेहतर बनाइए।

- पंजीकरण कराते ही दिल्ली सरकार आपकी बेटी के नाम में 10,000/- रुपये से खाता खुलवाएगी।
- कक्षा I, कक्षा VI, और कक्षा IX में दाखिला लेने पर प्रत्येक बार सरकार पुनः खाते में आपकी बेटी के नाम 5,000/- रुपये जमा कराएगी।
- कक्षा X पास होने पर और कक्षा XII में दाखिला लेने पर भी प्रत्येक बार सरकार खाते में आपकी बेटी के नाम 5,000/- रुपये जमा कराएगी।

1. आपकी जानकारी में यदि ऐसा परिवार हो जिसमें बालिका जन्मी हो तो उन्हें भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
2. नवजात बालिकाओं के लिए यह योजना 1 जनवरी 2008 से लागू है।
3. इस तिथि से पूर्व जन्मी बालिकाएं वर्ष 2008-2009 से कक्षा I, VI, IX में प्रवेश, Xवीं पास होने पर या XII में प्रवेश के स्तर पर भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

जयश्री रघुरमन
सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग

एस.के. सक्सेना
निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग

दिल्ली सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1, कैनिंग लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली–110001
www.wcddel.in

भागीदारी

DIP/234307-08

अमर उजाला एक्सक्लूसिव

# दहेज हत्या के केस लोक अदालत को

श्याम सुमन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में पांच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित मामले अब लोक अदालत को सौंप दिए जाएंगे। इन मुकदमों में भूमि अधिग्रहण, तलाक, गोद लेना, कस्टडी, मुस्लिम मैरिज एक्ट और भरण पोषण के मुकदमों समेत दहेज हत्या, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ तथा घरेलू हिंसा जैसे संगीन आपराधिक व नॉन कंपाउंडेबल केस भी शामिल हैं।

मुकदमों को लोक अदालत के जरिये निपटाने का फैसला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत में इस समय 46000 से ज्यादा केस लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश ने मामलों को लोक अदालत को भेजने का फैसला लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए किया है। मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी पत्र में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) अशोक कुमार ने कहा है कि इनमें लेबर, भूमि अधिकरण, सेवा, मुआवजा मसले (रेल, मोटर दुघर्टना), पारिवारिक मामले, पर्सनल लॉ (बंटवारा, उत्तराधिकार आदि), उपभोक्ता संरक्षण तथा चेक बाउंसिंग के लंबित मामले शामिल हैं।



### यह भी शामिल

लेबर, भूमि अधिग्रहण, सेवा, मुआवज़ा मसले (रेल, मोटर दुघर्टना), पारिवारिक मामले, पर्सनल लॉं (बंटवारा, उत्तराधिकार आदि), उपभोक्ता संरक्षण तथा चेक बाउंसिंग के मामले

महिलाओं संबंधी कानूनों के निर्माण से जुड़ी अधिवक्ता प्रिया हिंगोरानी ने कहा है कि मुकदमे लोक अदालत को सौंपने ही नहीं चाहिए। खासकर दहेज हत्या और अत्याचार जैसे आपराधिक मुकदमे कैसे आपसी रजामंदी से हल किए जा सकते हैं। वहीं नाम न छापने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने कहा कि यदि लोगों को मामले आपसी रजामंदी से ही सुलझाने होते तो वे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आते। एक बार लोक अदालत जाने के बाद इन मुकदमों में अपील का कोई प्रावधान नहीं होगा। देशभर की अदालतों से अपीलों और रिट के जरिये सुप्रीम कोर्ट में आने वाले इन मामलों को आपसी रजामंदी से हल करने के लिए लोक अदालतों को देना ऐतिहासिक कदम है।

इस सामाजिक अभिशाप के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार हो

# दहेज कानून को सख्त करने से क्या होगा?

मुद्दा

इम्तियाज अहमद

**सरकार** ने संकेत दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर दहेज कानून को और कड़ा बनाया जाएगा, ताकि दहेज प्रथा की बुराई को दूर किया जा सके। इस संबंध में दो प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है। एक तो यह कि क्या कड़ा कानून बनाकर दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है? दूसरा सवाल यह है कि कानून अगर सख्त हो भी जाए, तो उससे क्या दहेज संबंधी अपराधों में गिरावट आएगी?

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दहेज प्रथा हमारे समाज में एक अभिशाप है। केवल इसलिए नहीं कि उसके कारण अनेकानेक महिलाओं को वैवाहिक जीवन में अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और निरंतर करना पड़ रहा है। इसलिए भी नहीं कि लड़की के माता-पिता को दमन बरदाश्त करना पड़ता है। बल्कि यह इसलिए भी अभिशाप है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में विवाह का आधार वधू और वर की बराबरी होता है और दहेज प्रथा इस आधार को नष्ट करके विवाह को एक असमान संबंध में परिवर्तित कर रही है। एक ऐसे संबंध में, जहां लड़की वाले का स्तर लड़के वालों के स्तर से कम समझा जाता है। हम स्पष्ट रूप से न भी कहें कि दहेज प्रथा लड़की और लड़के की खरीद-फरोख्त का तरीका है, लेकिन यह साफ है कि इस प्रथा के पीछे छिपी सोच यही है कि इतना बड़ा बोझ है कि संपत्ति देकर ही उसको कंधे से हटाया जा सकता है और यह भी कि लड़का बिकाऊ है, जिसे संपत्ति देकर खरीदा जा सकता है।

दहेज प्रथा समाज में कैसे स्थापित हुई, यह अनुसंधान का एक मौलिक प्रश्न है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस प्रथा का समाज में चलन संपत्ति के वितरण से सीधे जुड़ा है। सारी दुनिया में किसी भी परिवार में लड़की और लड़का दोनों ही साथ होते हैं, लेकिन पिता के बाद संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से होगा, इस पर अलग-अलग समाजों की सोच भिन्न रही है। कुछ समाजों में पिता के बाद संपत्ति बराबर-बराबर लड़की और लड़कों में विभाजित होती है। ऐसे समाजों में दहेज जैसी परंपरा नहीं पाई जाती। कुछ समाजों में इस विधि में असंतुलन पाया जाता है। या तो लड़की को समान अधिकार नहीं दिया जाता या संपत्ति से पूरी तरह वंचित रखा जाता है। समस्या यहीं से शुरू होती है।

भारतीय समाज शुरू से कृषि प्रधान रहा है। ऐसे समाज में लड़की को संपत्ति में अधिकार देने का मतलब होता है परिवार के जीवन साधनों को सीमित करना। इसलिए लड़की को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और प्रथा बनी कि संपत्ति का एक छोटा-सा हिस्सा विवाह के समय उसे दहेज के रूप में दिया जाए। इसी कारण से भूमि संपन्न वर्गों में दहेज प्रथा प्रचलित रही, जबकि भूमिहीन वर्गों में 'ब्राइड प्राइस' की प्रथा चल निकली थी, जिसके अंतर्गत लड़के के परिवार को उसके लिए वधू प्राप्त करने के लिए पैसा देना पड़ता था। धीरे-धीरे यह विभाजन समाप्त हो गया और अब तो भूमिहीन समुदायों में भी दहेज प्रथा का चलन हो गया है।

जब कोई बुराई समाज में घर कर लेती है, तो उसको दूर करने के दो ही उपाय होते हैं। एक तो कानून बनाना और दूसरे, समाज सुधार करना। चूंकि दहेज को लेकर समाज सुधार की प्रक्रिया हमारे समाज में कभी प्रमुखता से कार्यान्वित नहीं हुई और न ही किसी समाज सुधार आंदोलन ने इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया (यद्यपि कुछ जातियों में इस मुद्दे पर आंदोलन भले ही हुए)। इसलिए सरकार के सामने इस सामाजिक बुराई से निपटने का एकमात्र साधन था कानून बनाना। बीती सदी के साठ के दशक में जब सरकार ने इस संबंध में कानून बनाने का फैसला किया, तो उसके दो उद्देश्य थे। एक, कानून बनाकर दहेज प्रथा के खिलाफ सामाजिक चेतना उजागर करना और दूसरा, दहेज प्रथा के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाना। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दहेज कानून लागू होने के बाद से इस प्रथा की बुराई के प्रति चेतना तो जागी है, लेकिन अत्याचारों में कमी नहीं आई है।

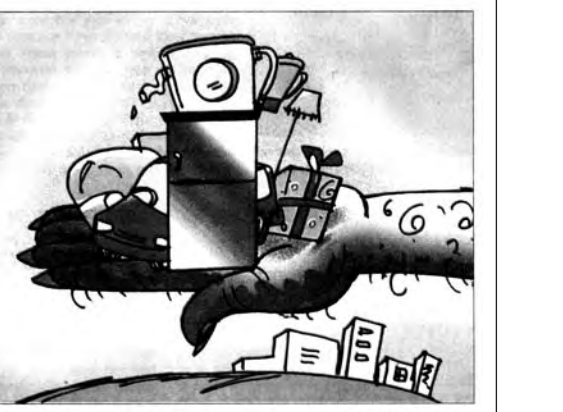



**जब दस साल कैद के प्रावधान भी दहेज लोलुपों को डरा नहीं पाए, तो चौदह साल की सजा से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस बुराई के खिलाफ गंभीरता से विचार कर एक पुख्ता रणनीति बनाने की जरूरत है**

अगर कानून और ज्यादा सख्त बना दिया जाए, तो क्या अत्याचार कम हो जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने से पहले इन पहलुओं पर विचार करने की भी जरूरत है कि ज्यादा सख्त कानून कहीं निरपराधों के लिए जी का जंजाल तो नहीं बन जाएगा। बेशक महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हुए हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। महिलाएं मौजूदा कानून को बड़े पैमाने पर एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने लगी है, जिससे मर्दों की दुश्वारियां बढ़ी हैं। चाहे ससुराल वालों को तंग करने के लिए या फिर पैसे ऐंठने की नीयत से अकसर औरतें दहेज कानून का सहारा लेकर पति और उसके परिवार वालों पर इलजाम लगा देती हैं, ताकि डर के कारण पति के परिवार वाले हथियार डाल दें। बार-बार कई प्रांतों के उच्च न्यायालयों ने और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर टिप्पणी की है। कानून को और सख्त कर देने का मतलब इस हथियार की धार पर सान धरना हो जाएगा।

जहां तक कानून को और ज्यादा कड़ा करने का प्रश्न है, तो यदि जब दस साल की कैद का प्रावधान दहेज के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करने से रोक नहीं पाया, तो चार साल की और कैद किस हद तक रुकावट पैदा करने में कामयाब हो सकेगी? यह विश्वसनीय बात नहीं दिखाई देती। जब किसी सामाजिक बुराई की जड़ें गहराई तक फैली हों, तो उसके समूल उखाड़ने में कानून को सख्त बनाना ज्यादा व्यावहारिक कदम साबित नहीं होगा।

ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने ज्यादा रचनात्मक कदम होगा कि एक कमेटी या आयोग का गठन किया जाए, जो दहेज संबंधी सभी मुद्दों पर विचार करे, ताकि एक ओर दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके और दूसरी ओर उन सभी रास्तों पर नजर डाली जा सके, जिनकी मदद से इस सामाजिक बुराई को दूर किया जा सके।

यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार की कमेटी या आयोग बनाते समय 'औरतों के मुद्दों पर केवल औरतें ही सही सलाह दे सकती हैं' जैसी सोच को न अपनाया जाए। ऐसे आयोग में मर्द और औरत, दोनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि सिफारिशें एकतरफा न हों और समस्या का एक व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन संभव हो सके। यदि सरकार ऐसा कदम उठाए बगैर कानून को सख्त बनाने की कोशिश करेगी, तो उससे सामाजिक उत्तेजना व दुश्वारियां ही बढ़ेंगी और समस्या का समुचित निवारण भी नहीं हो पाएगा। सरकार को इस सामाजिक बुराई को कड़ा कानून बनाकर हलके स्तर पर नहीं निपटाना चाहिए। इससे निपटने के लिए गंभीरता और इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि दहेज प्रथा से संबंधित सभी पहलुओं पर एक बार फिर संजीदगी से विचार हो और उसके बाद ही दहेज के दानव से लड़ने की रणनीति बनाई जाए।

(लेखक मशहूर समाजशास्त्री हैं)

# दहेज कानून में कई 'लूप-होल्स'

**अदालतों** द्वारा दोषियों को दंडित करने के मामले इधर काफी बढ़े हैं, फिर भी कानून का खौफ दहेज लोभी समाज में पैदा नहीं हुआ है। इससे साफ है कि कानून में कई तरह के 'लूप होल्स' हैं। अब कानून में सुधार व संशोधन के जरिए ही इन लूप होल्स को दूर किया जा सकता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2007 में कुल 2276 महिलाओं ने दहेज प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की। यानी एक दिन में औसतन छह महिलाएं। फिर हत्या के मामले जोड़ दें तो प्रत्येक दो-तीन घंटे में एक महिला की हत्या की जाती है। प्रताड़ना के मामले तो हर 35-40 मिनट में एक होता रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी गत वर्ष पहुंची 16 हजार शिकायतों में भी सबसे अधिक दहेज प्रताड़ना के थे। मैं आंकड़ों की भाषा इसीलिए बोल रही हूं कि ये समाज का वीभत्स सच खुद बयां करने में सक्षम हैं।

समस्या पर लगाम लगानी है तो वर्तमान कानून में कई तरह के सुधार करने होंगे। अभी जो कानून है इसके मुताबिक शादी के बाद सात साल तक ही दहेज की शिकायत दर्ज की जा सकती है। अमूनन दहेज लोभी सात साल इंतजार करने के बाद उत्पीड़न का व्यवहार शुरू करते हैं। कुछेक मामले में तो ऐसा देखा गया है कि दहेज लोभियों ने विवाह के 25 साल बाद भी महिला को प्रताड़ित करना शुरू किया। इसे देखते हुए वर्तमान कानून की समय सीमा को समाप्त करने की जरूरत बढ़ गई है। फिर सजा की कुल मात्रा को सात साल से बढ़ाकर दस साल या उससे भी अधिक किया जाना चाहिए। परिवर्तन धारा 304 बी के लिए अनिवार्य सी है। यह धारा दहेज हत्या से संबंधित है इसलिए इसमें लचीलापन रखने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 498 ए में भी संशोधन कर उसे और विस्तृत करने की जरूरत है। लड़की को विवाह के समय जो भी स्त्री-धन या तोहफे प्राप्त होते हैं उसे भी विवाह में प्राप्त सामानों की सूची में शामिल करना चाहिए। सूची पर घरेलू हिंसा निषेध कानून के अंतर्गत रखे गए संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए कानूनन यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे नौकरी में आने से पहले लिखित रूप में सरकार को यह ब्यौरा सौंपे कि उन्हें विवाह के समय कौन-कौन सी सामग्री प्राप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में 2005 में केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया गया था, किंतु इस पर ठीक से अमल नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन सुधारों के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। अब केंद्र सरकार को दहेज निरोधक कानून 1961 में बदलाव करने को आगे बढ़ना चाहिए। वैसे कई अन्य तरह के सुधार भी अपेक्षित हैं। न्यायालय में महिला लोक अदालत द्वारा त्वरित न्याय दिलाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फेमिली कोर्ट की भी व्यवस्था हो जहां छोटे-मोटे केस सुलझाए जा सकें और सिर्फ गंभीर मामले ही क्रिमिनल मामले में लाए जाएं। यह गौर करना जरूरी है कि एक अपराधी का बेदाग छूट जाना या उसे पर्याप्त दंड न मिलना दूसरे जुर्म की तैयारी की तरह होती है। फिर सामाजिक जड़ता दूर करने के लिए जरूरी है कि महिलाओं में शिक्षा के प्रसार पर विशष जोर दिया जाए। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भी समाज को एकीकृत तौर पर प्रयास करने होंगे।

(गिरिजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं)

प्रस्तुति : प्रवीण कुमार

# बाजार से भी बढ़ा है दहेज दानव

*लड़की वाले अक्सर यह कहते हैं कि हम अपनी खुशी से अपनी लड़की को यह उपहार दे रहे हैं; यह दहेज नहीं है। लड़के वाले भी यही कहते पाए जाते है कि जी, आप जो दे रहे हैं अपनी बिटिया के लिए दे रहे हैं। इन बातों के पीछे असली बात क्या है यह न तो लेन-देन करने वालों से छिपी है, न समाज वालों से!*

अंजलि सिन्हा

**'कानूनी भाषा में भी उपहार दहेज तब कहलाता है जब वह दबाव में मांगी या दी गई हो। यह दिया गया उपहार कब तक खुशी और कब दबाव बना कर लिया गया, यही रेखा है दहेज को पहचानने की।'**

'यहां कन्यादान के लिए स्पेशल पैकेज मिलते हैं' - यह बोर्ड आजकल आपने अक्सर दुकानों पर देखा होगा। इस बोर्ड पर नीचे पैकेज खरीदने पर 15 से 20 हजार रुपए तक की छूट मिलने का लालच भी दिया जाता है। यह पैकेज 24,990 से लेकर 71,000 रुपए तक का होता है। उसमें सोफा सेट, डबल बेड, ड्रायनिंग टेबल, टीवी, डीवीडी आदि का समावेश होता है। दुकानदार बताते हैं कि लड़की वाले लड़के वालों के परिवार के साथ खरीदने आते है ताकि बाद में पसंद-नापसंद का मामला न बने और यह समझने के लिए किसी विशेष बुद्धिमानी की आवश्यकता नही है कि लड़के वाले महंगा सामान पसंद करते हैं। लड़की वाले अक्सर यह कहते हैं कि हम अपनी खुशी से अपनी लड़की को यह उपहार दे रहे है; यह दहेज नहीं है। लड़के वाले भी यही कहते पाए जाते है कि जी, आप जो दे रहे है अपनी बिटिया के लिए दे रहे हैं। इन बातों के पीछे असली बात क्या है यह न तो लेन-देन करने वालों से छुपी है, न समाज वालों से!

इनके प्रभाव पर बात करने से पहले इसमें बाजार की भूमिका पर गौर फरमाना आवश्यक है। हम सभी जानते है कि रक्षाबंधन और करवा चौथ के त्योहारों पर हजारों-लाखों की कमाई होती है। अगर बारीकी से देखें तो ये ऐसे त्योहार हैं जो स्त्री की पराधीनता- फिर चाहे वह भाई पर हो या पति पर- को मनाते हैं। गुलामी सरेआम बेची जाती है और विडंबना यह है कि महिलाएं खुशी से इसे खरीदती है। जीवन में थोड़ी खुशी पाने की तमन्ना लेकर जो रोज गाली सुनती है, मार खाती है, उपेक्षित रहती है, वह भी उस दिन पति की कृपादृष्टि की हकदार होती है। अपनी क्षमता साबित कर चुकी औरत को भी इसकी जरूरत लगने लगती है क्योंकि सारा गली-मुहल्ला, बाजार इस धुन में रंग जाता है। उसे भी और हर एक को भी यह साबित करना होता है कि वह खुश है; उसका वह उस पर मेहरबान है। दिखावे का दिखावा करने का मौका चाहिए जो आज बाजार मुहैय्या करा रहा है।



ये दुकानदार कैसे लिखें कि हमारे यहां दहेज का पैकेज मिलता है। उन्हें महिला संगठनों या कानून का भय लगा होगा तो संस्कार के नाम पर कन्यादान पैकेज लिख दिया। जब कन्या-भ्रूण-हत्या का विरोध किया जाता है तब भी यह प्रचारों में पाया गया है कि यदि बेटी पैदा नहीं होगी तो कन्यादान किसका करोगे। संस्कार समाज में ही गढ़े जाते हैं। कोई भी मान्यता या संस्कार आदिकाल से नहीं चला आता है। ये संस्कार हमारी मानसिकता तैयार करते है और हमारी इन मानसिकताओं को और मजबूत और पुख्ता मीडिया या बाजार करता है। दहेज को सामाजिक बुराई मान लिया गया और इसके लिए कानून भी बन गए फिर आखिर क्या वजह है कि हर कुछ मिनटों में एक और विवाहित दहेज हत्या की बेदी पर चढ़ जाती है। हजारों दहेज-उत्पीड़न के मामले हर साल सामने आते हैं।

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने चिंता व्यक्त की और महिला कल्याण मंत्रालय को सुझाव दिया कि दहेज कानूनों को और अधिक सख्त बनाया जाए। ताजा सुझाव का कारण था आयोग के पास 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2007 तक के आए दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के मामले, जो स्पष्ट तौर पर समस्या में बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आयोग का सुझाव है कि दहेज कानून को बदलकर सजा 7 से 10 साल, अधिकतम उम्रकैद की जाए तथा शादी के बाद के संदिग्ध अवस्था में मौत के लिए सजा को भी 7 साल से बढ़ा कर 10 साल तथा उससे अधिक की जाए।

2006 में अकेले गुजरात प्रांत में कथित तौर पर स्टोव फटने से 300 महिलाओं को मारे जाने की खबर आई थी। यह दहेज की समस्या लड़कियों की जिंदगी दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक असुरक्षित करती जा रही है। नई गृहस्थी शुरू करने के पहले दिन से ही ये आशंकाएं मनमें कड़वाहट और निराशा का भाव घोलती है जो जीवन को अन्दर तक प्रभावित करती हैं। अच्छा कानून बना लेना या उसे और अधिक सख्त कर देना एक बात होती है और वह भी जरूरी कदम है किंतु एकमात्र उसी समाधान पर निर्भर रहना अधूरी समझ होगी। सिर्फ डण्डे का अनुशासन अच्छा या गुणवत्ता वाले अनुशासन की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी बात यह जानना जरूरी है कि कानून की बारी तब आती है जब मामला न्यायालय में जाता है यानी किसी न किसी रूप में समस्या आ चुकी होती है। समस्या पर आने से पहले इस समस्या का कारण क्या है यह भी जानना जरूरी हो जाता है। दहेज को कानूनी और सामाजिक दोनों तरफ से निंदनीय माना गया है। लेकिन वह फिर भी चलन में है और न सिर्फ चलन में है बल्कि महिलाओं के जीवन का काल बना हुआ है। तभी तो हजारों जिंदगियां हर साल लील जाता है।

कानून के दुरुपयोग का मसला भी बार-बार उठा है और वह भी सच्चाई से परे नहीं है क्योंकि झूठे मामले भी प्रकाश में आए ही है। सुप्रीम कोर्ट भी इन फर्जी मामलों पर चिंता व्यक्त कर चुका है। इसलिए कानूनी समाधान के साथ जरूरी है समस्या के गहरे पैठे कारणों को पहचानना। यदि लड़की का कन्यादान किया जा सकता है तो साथ में कुछ वस्तुओं का दान स्वीकृत भी होगा। हमारे समाज में उपहारों की अहमियत भी खासी है। कानूनी भाषा में भी उपहार दहेज तब कहलाता है जब वह दबाव में मांगी या दी गई हो। यह दिया गया उपहार कब तक खुशी और कब दबाव बना कर लिया गया, यही रेखा है दहेज को पहचानने के लिए। इस लेन-देन की मानसिकता गढ़ने में हमारे समाज की कई मान्यताएं, परंपरा जिम्मेदार हैं। उसी के साथ बाजार का तर्क भी एक कारण है जैसे कि कन्यादान का पैकेज, बारातियों के स्वागत में महंगे तामझाम आदि। लाखों रुपए पण्डाल सजाने में खर्च हो जाते है। सादगी की जगह चमक-दमक का बोलबाला बढ़ा है। उस पर नियंत्रण जरूरी हो गया है।

(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में कार्यरत हैं)

# सजा देते लोग

दहेज

जगजीत सिंह

कानून को ठेंगा दिखा कर दहेज के आरोपियों से लोगों द्वारा खुद निपटने और उन्हें सीधा करने और सबक सिखाने की प्रवृत्ति अराजकता की हद को छूने लगी है जहां शादी का मंडप देखते-देखते अखाड़ा बन जाता है, फायरिंग होती है और मौकाए-वारदात पर अपना फर्ज निभाने पहुंचा कोई पुलिसिया बेमौत मारा जाता है। मामला मेरठ के एक गांव का है। दहेज मांगने के इल्जाम में गांव वालों ने पूरी बारात को बंधक बना लिया। बारातियों की पिटाई की। उस्तरे से उनके सिर के बाल उतारे और मुंह पर कालिख पोती, मुर्गा बनाया, कान पकड़वा कर उठक-बैठक लगवाई। पुलिस ने बारातियों को छुड़ाने की कोशिश की तो गांववालों ने उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल लिया। उसके जवानों को बंधक बना लिया। मामला उस हद तक बिगड़ा कि रैपिड एक्शन फोर्स बुलानी पड़ी। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी समेत दो की मौतें हुईं, सात पुलिसकर्मी घायल हुए।

इससे कुछ दिन पहले पटियाला में एक एनआरआई डॉक्टर की बारात की भी दहेज के इल्जाम में लड़की वालों द्वारा बुरी तरह से पिटाई की गई। भरे पांडाल में दूल्हे और उसके बाप की पगड़ियां उतारी और उछाली गईं।

दहेज की मांग के इल्जाम सच्चे थे या झूठे, इसका फैसला तो संबद्ध अदालतें करेंगी। लेकिन आए दिन बारातियों के साथ ऐसे बर्ताव के वाकयात दहेज हिंसा के एक नए रूप, नई चिंता को जन्म दे रहे हैं। मुमकिन है अपने मान-सम्मान के प्रति चिंता रखने वाले कई लोगों ने तो टीवी पर ऐसे खौफनाक मंजर देखने के बाद इस डर से बारातों में शरीक होने से ही तौबा कर ली हो कि क्या मालूम दहेज के झूठे सच्चे इल्जाम में लड़की वालों के हाथों कहीं उनकी इज्जत का भी जुलूस न निकल जाए।

यकीनन, दहेज एक संवेदनशील मुद्दा है। ऐन लगन के वक्त कोई लड़के वाला ब्याह-शादी को सौदेबाजी का जरिया बनाए। लड़के की बोली लगाए, एक बाप से बेटी ब्याहने की कीमत मांगे और उसके सामने मोटी तगड़ी रकम की मांग रख दे तो उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए ताकि बाकी लोग उससे सबक लें और दहेज मांगने की जुर्रत न करें। लेकिन सजा देना कानून का काम है। वह भी अदालत में जुर्म साबित होने पर। महज आरोप लगा देने से कोई सजा का भागी नहीं बन जाता। पर इधर देखने में आ रहा है कि अब यह काम भी लोग अपने हाथ में लेने लगे हैं। मीडिया में ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। अगर कानून के अपराधियों को सजा देने का काम समाज अपने हाथ में ले लेगा तो कानून क्या करेगा? दहेज मांगना संगीन जुर्म है तो आरोपितों के साथ मारपीट करना, उनके साथ पूरी बारात को बंधक बना लेना और खुद मुंसिफ बनना अपराध है। एक अपराध से निपटने के लिए दूसरे अपराध को औजार बनाने और उसे सही ठहराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अगर अदालत में दहेज की मांग का आरोप झूठा साबित हुआ तो लड़के वालों की सामाजिक जिल्लत और अपमान का हर्जाना कौन भुगतेगा?

इंसाफ का तकाजा है कि सौ कसूरवार भले ही छूट जाएं, एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाल में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक लड़की के बाप ने बड़ी चालाकी से पहले तो अपनी बेटी को गायब करवाया और उसके बाद अपने दामाद पंकज पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मामला बना कर छह माह के लिए जेल भिजवा दिया और कुछ समय बाद बेटी की दूसरी शादी कर दी। दरअसल पंकज मनोरोगी था और ससुरालियों को उससे निजात पाने का यह सबसे ज्यादा कारगर उपाय लगा। जेल से बाहर आने पर पंकज ने मामले की तहकीकात की और बाप-बेटी की साजिश का भंडाफोड़ किया। सचाई प्रकट होने पर बाप-बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुमकिन है पंकज जैसे कई और बेकसूर भी इस आरोप में जेलों में सड़ रहे हों। खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि न केवल बुजुर्ग बल्कि मासूम बच्चे तक दहेज मामलों में जेलों में बंद हैं। आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि पुलिस को दहेज से जुड़े मुकदमों की तफ्तीश के तौर-तरीकों में बदलाव लाना चाहिए ताकि किसी बेकसूर को जेल न जाना पड़े।

अभी कुछ ही दिन पहले उड़ीसा के राज्य महिला आयोग ने भी माना था कि कई महिलाएं आईपीसी की धारा 498 ए का इस्तेमाल अपने पतियों व उनके परिवारों को आतंकित और ब्लैकमेल करने के लिए कर रही हैं। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों दांपत्य संबंधों में दरार को दहेज उत्पीड़न का मामला बनाने की प्रवृत्ति को आड़े हाथ लेते हुए टिप्पणी की थी कि हर असफल विवाह अपराध नहीं होता। लेकिन असफल विवाह को अपराध में बदलने के लिए आईपीसी के सेक्शन 498-ए का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है और मोटा आर्थिक फायदा मिलते ही शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर वापस ले ली जाती है।

बहरहाल, सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वह दहेज के लालची ससुरालियों द्वारा लड़की के प्रति हो या दहेज की मांग से खफा लड़की वालों द्वारा बारातियों के प्रति। अगर ससुरालियों का लड़की के प्रति हिंसक व्यवहार अक्षम्य है तो नए किस्म की यह दूसरी हिंसा भी सामाजिक आलोचना और कानून की सजा से बरी नहीं हो सकती। बेहतर होगा कि ऐसे मामलों में समाज कोरी भावुकता से ऊपर उठे और दहेज की मांग और उत्पीड़न के दोषियों को सबक सिखाने का काम कानून को करने दे। ❑

# दहेज का दायरा

अलका आर्य

कानून

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दहेज संबंधी उत्पीड़न, हत्या और आत्महत्याओं के मामलों की गंभीरता को देखते हुए दहेज रोकथाम कानून-1961 में संशोधन की सिफारिशें महिला और बाल विकास मंत्रालय को भेजी हैं। अपनी सिफारिशों में आयोग ने सरकार से कहा है कि शादी के बाद सात साल के भीतर ही दहेज विरोधी शिकायत दर्ज करने की समय सीमा खत्म कर दी जाए, क्योंकि पति या ससुराल पक्ष दहेज की मांग कभी भी कर लेते हैं। दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि दहेज हत्या या उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त की सजा मौजूदा न्यूनतम सात साल से बढ़ा कर दस साल और अधिकतम उम्र कैद कर देनी चाहिए।

गौरतलब है कि एक तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग दहेज रोकथाम कानून-1961 को अधिक सख्त बनाने की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ हाल में सर्वोच्च अदालत ने दहेज प्रताड़ना से संबंधित एक मुकदमे में दिए गए फैसले में स्पष्ट किया कि बच्चे के जन्म या अन्य समारोहों के मौके पर लड़की के ससुराल पक्ष को दिया गया धन दहेज की परिधि में नहीं आता।

सर्वोच्च अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने दहेज रोकथाम कानून की धारा- 2 में परिभाषित दहेज को रेखांकित करते हुए कहा कि इसकी परिभाषा से पता चलता है कि दहेज का संबंध तीन अवसरों यानी विवाह से पहले, विवाह के समय और तीसरा विवाह के बाद किसी भी समय से है। दहेज का तीसरा अवसर अंतहीन हो सकता है, पर इससे संबंधित वाक्यों से आगे 'उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में' जोड़ा गया है।

महिला संगठनों की राय में अदालत द्वारा दहेज की यह व्याख्या देश की महिलाओं के हित में नहीं है और वर पक्ष द्वारा इसके दुरुपयोग की आशंका ज्यादा दिखाई देती है। इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि जो वधू वर पक्ष की अपेक्षाओं के अनुकूल शादी के मौके पर दहेज नहीं लाती है, उसे शादी के तुरंत बाद प्रताड़ित न कर बच्चे के पैदा होने या दूसरे अवसरों पर मायके वालों से नकदी, महंगे तोहफे मांगने को मजबूर किया जाए। ऐसे अवसरों पर मांग पूरी नहीं होने पर अगर वधू को प्रताड़ित भी किया जाता है तो उस पर दहेज रोकथाम कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, क्योंकि सर्वोच्च अदालत के अनुसार ऐसी प्रताड़ना दहेज के दायरे से बाहर है। जाहिर है, दहेज के दायरे का मसला ज्यादा पेचीदा और विवादों में घिर गया है। अदालत द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की परंपराओं के मुताबिक बच्चे के जन्मदिन या दूसरे मौकों पर वधू पक्ष द्वारा किए जाने वाले भुगतान पर मुहर लगाना भी लड़की को बोझ समझने वाली सामाजिक परंपराओं को प्रोत्साहित करना ही कहा जा सकता है।

गौरतलब है कि कई सामाजिक परंपराओं के चलते बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या के मामले आए दिन पढ़ने-सुनने को मिलते हैं। ऐसी परंपराओं को प्रोत्साहित करने वाले फैसलों का आधी दुनिया पर प्रतिकूल असर साफ देखा जा सकता है। खासतौर पर दहेज सरीखी सामाजिक परंपरा ने आज जो भयावह रूप अख्तियार कर लिया है, उसके चलते अपने देश में रोजाना दहेज हत्या के उन्नीस मामले यानी औसतन हर सतहत्तर मिनट में एक औरत की हत्या कर दी जाती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले साल सवा दो हजार से ज्यादा महिलाओं ने दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की। यानी एक दिन में करीब छह महिलाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी बीते वर्ष लगभग साढ़े पांच सौ दहेज हत्याएं और पौने तीन हजार से ज्यादा दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अधिकतर मामले दर्ज ही नहीं होते।

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विकास मॉडल के बूते तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनने का दंभ भरते हैं, वहां 2006 में 'स्टोव फटने' से करीब साढ़े तीन सौ महिलाओं की मौत हुई। इनमें से अधिकतर महिलाओं की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और उनमें से लगभग सभी बाईस से पैंतीस आयुवर्ग की थीं। इसकी असलियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

आधुनिक और विकसित होते जाने का दावा करने वाले हमारे देश का एक कड़वा सामाजिक सच यह है कि यहां वधू जलाए जाने की संस्कृति आज भी जिंदा है। यह इस बात का सबूत है कि आर्थिक विकास की तुलना में स्त्रियों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रहों को बदलने की रफ्तार बहुत धीमी है। उड़ीसा में आजकल वर पक्ष दहेज में पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की मांग करने लगे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन द्वारा दहेज पर कराए गए एक सर्वेक्षण में कई उच्च और मध्यवर्ग के परिवारों ने बताया कि वे वर पक्ष की मांग को पूरा करने के लिए एनजीओ बना रहे हैं। कारण साफ है। गरीब इलाकों में मुनाफे का पर्याय बन चुके पहले से तैयार खड़े एनजीओ के लिए वर पक्ष ने वधू पक्ष पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस लिहाज से देखें तो सर्वोच्च अदालत की दहेज के दायरे को स्पष्ट करने वाली ताजा व्याख्या महिला समाज को न्याय नहीं दिलाती है।

### यूपी में सबसे अधिक दहेज हत्याएं

# ऐसे भी हैं राज्य जहां दुल्हन ही दहेज है

मदन जैड़ा

**नई दिल्ली। देश में प्रतिवर्ष हजारों महिलाएं दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। पिछले पांच साल के दौरान दहेज उत्पीड़न के मुकदमों में 80-90 फीसदी की बढ़ोरी हुई है। इस सबके बावजूद कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां न तो दहेज हत्या हुई और न ही दहेज का कोई मुकदमा दर्ज हुआ। देखा जाए तो सही मायने में इन राज्यों के लोगों ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया कि दुल्हन ही दहेज है। हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां साल भर में दहेज हत्या या उत्पीड़न के कुछ गिने-चुने मामले दर्ज हुए। गृह मंत्रालय की संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2002 से 2006 के दौरान दहेज हत्याओं एवं मुकदमों के गहन अध्ययन के बाद यह नतीजे निकाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज हत्याएं दर्ज की गई हैं जबकि उत्पीड़न के सर्वाधिक मामले उड़ीसा में हैं।**

**एनआरसीबी के अनुसार उपरोक्त पांच सालों की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम तथा केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में दहेज उत्पीड़न का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इनमें से मणिपुर, नगालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां दहेज हत्या की भी कोई वारदात नहीं हुई है। इन राज्यों में लगभग 60 लाख आबादी निवास करती है। जबकि इन पांच सालों में अरुणाचल प्रदेश और दादर नागर हवेली में 2006 में दहेज हत्या का एक-एक, दमन दीव में 2, मिजोरम में 2005 में 4 मामले दर्ज हुए हैं।**

**2002-06 के दौरान दहेज हत्याएं**

| | |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 8285 |
| बिहार | 5067 |
| मध्य प्रदेश | 3576 |
| हरियाणा | 1196 |
| दिल्ली | 642 |
| पंजाब | 618 |
| उत्तराखंड | 384 |
| केरल | 127 |

**इसके अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जहां दहेज हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं बेहद कम हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मेघालय प्रमुख हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि पूरे देश में दहेज हत्याओं पर नजर डालें तो 2002 में कुल 6822 मामले दर्ज हुए जो 2006 में बढ़कर 7618 हो गए। इसी प्रकार दहेज उत्पीड़न की घटनाएं इस अवधि में 2816 से बढ़कर 4504 हो गई हैं।**

# प्रशासन के लिए उलझनें पैदा कर रहा है घरेलू हिंसा निरोधक कानून

**प्रिय रंजन**

नई दिल्ली, 4 फरवरी। घरेलू हिंसा निरोधक कानून जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए बेशक कारगर साबित हुआ हो, मगर पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था से जुड़े बड़े लोगों के लिए उलझन पैदा कर रहा है। एक तरफ इस कानून के बेजा इस्तेमाल से पुरुष सकते में हैं तो दूसरी तरफ इसे लागू करने में जुटे पुलिस व सुरक्षा अधिकारी और महिला कार्यकर्ता तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि पीड़ित की विशेष शिकायतों से वे कैसे निपटें। मसलन, कोई अपने पति के पेशे को नापसंद कर खुद को दुखी बताते उनकी शरण में आए तो वे क्या करें?

इन तमाम पहलुओं पर पिछले दिनों घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून-2005 के अनुपालन से जुड़े लोगों, सरकारी अफसरों, जजों और स्वयं सेवी संगठनों के लिए हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। नोंकझोंक, भावनात्मक रिश्तों से जुड़े मसलों से लेकर मानसिक प्रताड़ना, अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कार्यक्रम में हाई कोर्ट के जजों व न्यायविदों के समक्ष उठे इन सवालों ने कानून की जो तस्वीर पेश की उससे साफ कर दिया कि घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून की संकल्पना करने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डेलसा) की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ कृष्णमेनन सभागार में जुटे जज, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर सुरक्षा अधिकारियों तक में छात्रों जैसा कौतूहल दिखा। कानून के अनुपालन में आ रही जमीनी दिक्कतों से जुड़े कई सवाल तो ऐसे हुए जिससे प्रशिक्षक की भूमिका में मंच पर बैठे दिल्ली हाईकोर्ट के दर्जनों वरिष्ठ जजों व न्यायविदों के चेहरों पर भी गंभीरता झलकी। हंसी-ठहाके भी लगे और बीच-बीच में मंच से आश्वासन भी मिलता रहा।

सबसे पहले पुलिस अधिकारियों की ओर से प्रश्न दागे गए। जस्टिस दीपा ठाकुर, जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस मंजू गोयल से उनका प्रश्न था कि दहेज निरोधक कानून तो साफ है लेकिन घरेलू हिंसा वाला कानून के अदृश्य पहलुओं को वे कैसे निपटें। मसलन भावनात्मक अपराध को वे कैसे समझें? पति के दूसरी स्त्री प्रेम की पत्नी की शिकायत पर वे किस धारा के तहत कार्रवाई करें। और इस बाबत वे सबूत कहां से लाएं? प्रशिक्षकों ने भी गोल-मोल ही जवाब दिए। हालांकि कानून पर विस्तार से चर्चा हुई लेकिन अफसरों को मंच से बताया गया कि वे विचलित न हों। ध्यान रहे कि यह कानून दूसरे कानून से विराट है। दूसरे कानून में तो दुख देने वाले पकड़े जाते हैं इसमें महिला की खुशी में दखल देने वालों पर भी नजर रखनी है। न्यायधीशों ने कहा, इस कानून से ज्यादा कानून के अनुपालन से जुड़े लोगों पर इसकी संकल्पना की कामयाबी निर्भर है। उन्होंने साफ किया कि इसके तहत केवल बहू की ही शिकायत नहीं बल्कि घर के दूसरे सदस्यों जैसे देवर, सास, ननद, बहन-भाई, सबकी शिकायत सुनी जा सकती है।

एक सवाल का जवाब जस्टिस ठाकुर ने उन्हीं के एक एसीपी साथी से जानना चाहा। सवाल था कि अधिकारी उस पत्नी की शिकायत पर क्या कार्रवाई करे जो फौजी पति के खिलाफ साल में एक बार भी घर न आने की शिकायत लेकर पहुंची हो। छुट्टी लेकर घर न आने को घरेलू हिंसा से परे नहीं माना गया लेकिन इस तरह के दर्जनों सवालों का जवाब दे पाना विशेषज्ञों के लिए भारी पड़ता दिखा।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों को घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई 60 दिनों के भीतर पूरी करने के उपबंध बताने के बाद जस्टिस ठाकुर ने जानना चाहा कि क्या ऐसा हो पा रहा है। दर्जनों जजों में से केवल एक हाथ उठा और जवाब आया कि केवल एक मामले में ही ऐसा हो पाया है। हाईकोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि दिल्ली की अदालतों में महज सवा साल में इस कानून के तहत 1288 मामले पेंडिंग हैं। सुनवाई करने वाले जजों की मानें तो अदालत से बाहर की 'रपट' में देरी होती है। उन्हें पीड़ित के अलावा सरकारी सुरक्षा अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। लिहाजा तीन दिन के भीतर सुनवाई शुरू करने के प्रावधान का भी कई मामलों में पालन नहीं हुआ।

जब बात सुरक्षा अधिकारियों (बीडीओ स्तरीय राज्य सरकार का नियुक्त अधिकार) की आई तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। जजों के यह बताने पर इस कानून की रीढ़ सुरक्षा अधिकारी होता है और उसे सिफारस से लेकर समाधान तक पीड़ित का साथ देना होता है। कानून के तहत दिए गए उपबंधों का पालन करना पड़ता है। सुरक्षा अधिकारियों ने पहले अपनी सुविधा कटौती और फिर व्यवस्था की पोल खोलनी शुरू की। उनका कहना है कि ये कानून के तहत पीड़ित का शिविर कहां से लाएं। सरकार पहले शिविर (आश्रय गृहों) का निर्माण करें। क्योंकि ऐसे मामले से पीड़ित के लिए रोटी, कपड़े से ज्यादा मकान मायने रखता है। शिकायत दर्ज होते ही घर से निकाल दी जाती है। उसे कहां रखा जाए। दिल्ली का हवाला देकर बताया गया कि यहां चार से पांच महिला आश्रय गृह है जिनकी कुल क्षमता 150 को पार नहीं करती। ऐसे में सुरक्षा अधिकारी क्या करें? जजों ने भी माना कि इस बाबत सरकार को काम करना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी की सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। हर राज्य अपने यहां जनसंख्या के हिसाब से सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करें।

दो दिनों तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर काम करने वाले अफसरों व कार्यकर्ताओं ने यह कहकर चौंका दिया कि इस कानून पर फिर से विचार हो। अधिकांश ने माना कि इस कानून को लाभ कम और हानि ज्यादा हो रही है। दहेज उन्मूलन कानून को ही पर्याप्त बताया गया। अनुभवों का हवाला देकर दावा किया गया कि जो मसले बंद कमरों में सुलटा लेने चाहिए वे अदालती चौहट पर पहुंच रहे हैं। इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और पीड़ित महिला कानून की पौंस देकर अफसरों से रपट लिखने की मांग करती है, जो उन्हीं की कलम से रखा में हत्या जैसा मामला बन जाता है।

# घरेलू हिंसा कानून से कौन डरता है?

**स्त्री-विमर्श**

**उषा महाजन**

हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन ने पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा में आई शिकायतों में से 1,805 पीड़ित महिलाओं की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करने के उपरांत अपने दिल दहलाने वाले निष्कर्ष दिए। ये पीड़ित महिलाएं औसतन 4.2 वर्षों तक घरेलू हिंसा की शिकार बनी रहने के बाद ही अपनी शिकायतें लेकर पुलिस की उक्त शाखा में आईं। 78 फीसदी महिलाओं का कहना था कि उनके स्वयं बच्चों, सास-ससुर और पड़ोसियों के सामने शारीरिक हिंसा हुई।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट-3 (2007) के मुताबिक भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक गंभीर समस्या है। कुल मिलाकर 15 से 49 वर्षों के बीच की महिलाओं का एक-तिहाई हिस्सा परिवार के भीतर शारीरिक हिंसा भुगतता है और दस में से एक औरत यौन हिंसा की शिकार होती है। घरेलू हिंसा स्त्री को मिले सांविधानिक अधिकारों का हनन है। घर में औरत को हिंसा रहित जीवन देने के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों ने वर्ष 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वीमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल (घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून) पारित किया था, जिसे वर्ष 2006 में देश भर में लागू कर दिया गया। यह महिला संस्थाओं के लिए हर्ष की बात थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि महीने भर बाद ही पुरुषों के कुछ गुटों के विरोध के दबाव में आकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसके पुनरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी। खबर मिली है कि भारत सरकार का उक्त मंत्रालय इस कानून के साथ-साथ कुछ पुराने कानूनों, जैसे दहेज निषेध कानून, 1961, अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, 1956, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध कानून, 1986, सती निरोधक कानून, 1987 और राष्ट्रीय महिला आयोग कानून, 1990 में भी संशोधन करने के लिए वकीलों का एक पैनल

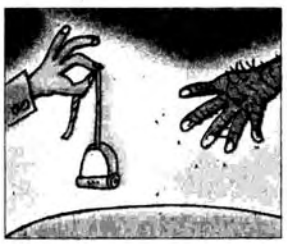

बनाने की योजना बना रहा है।

घरेलू हिंसा कानून से पहले विवाहित स्त्री के लिए पति और उसके परिवार द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने की दशा में आपराधिक कानून 498-ए का सहारा लेने का प्रावधान था। दहेज निषेध कानून, 1961 में वर्ष 1983 में हुए संशोधन के बाद जोड़ी गई धारा 498-ए एक गैर जमानती धारा है, जिसके तहत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी तो हो सकती है, पर पीड़ित महिला को भरण-पोषण अथवा निवास जैसी कोई राहत नहीं मिलती। जबकि घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन पीड़ित महिला को भरण-पोषण, रिहाइश और बच्चों की अस्थायी कस्टडी की फौरी राहत मिल जाती है।

घरेलू हिंसा कानून के तहत घर के भीतर शारीरिक, मानसिक अथवा यौन हिंसा होने की दशा में कोई भी महिला, चाहे वह बहन हो, मां, पत्नी, पुत्री, दत्तक पुत्री अथवा लिव इन संबंधों की संगिनी न्यायालय से इस हिंसा को तुरंत रोकने की मांग कर सकती है। इस कानून के तहत सरकार सुरक्षा अधिकारियों (प्रोटेक्शन ऑफिसर) और सेवा दायकों (सर्विस प्रोवाइडर) की नियुक्ति करती है, जो पीड़ित महिला को अदालत जाने और कानूनी जानकारियां देने में मदद करते हैं। राज्य सरकारें उसे चिकित्सा सहायता एवं शॉर्ट स्टे होम में शरण देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस कानून के तहत महिला को भरण-पोषण भत्ता और निवास दिलाया जाता है। बच्चों की अस्थायी कस्टडी भी उसे मिल जाती है। 60 दिनों के भीतर ही उसके मामले का अंतिम निपटारा भी कर दिया जाना होता है। मजिस्ट्रेट या सेशन जज के निर्णय को प्रतिवादी द्वारा न माने जाने की दशा में उसकी गिरफ्तारी और जुर्माने का भी प्रावधान है।

महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बने इस कानून के कार्यान्वयन में मदद के लिए जल्द से जल्द सुविधाएं जुटाई जाएं, न कि इसको खारिज करने की व्यवस्था की जाए। अच्छा यह होगा कि घरेलू हिंसा कानून के पुनरीक्षण से सरकार अपने हाथ खींच ले। पूर्णकालिक प्रोटेक्शन अफसरों और सर्विस प्रोवाइडरों की नियुक्ति करे तथा पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करे। कानून की शरण में आने वाली महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाने की मुहिम को साकार करने के लिए समुचित तादाद में मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्तियां हों।

घरेलू हिंसा स्त्री का जीवन तहस-नहस कर देती है। वह स्त्री को इतना कमजोर और विरोध में अक्षम बना देती है कि वह हारकर अपने सारे अधिकारों और दावों को त्यागकर घर छोड़ने को बाध्य हो जाती है, जबकि यह कानून उसे इस स्थिति से उबारने की दिशा में सार्थक कदम है। इस कानून का विरोध करने वाले पुरुषों तक यह संदेश जाना जरूरी है कि यह प्रताड़ित होती स्त्री के लिए एक रक्षात्मक कवच है, न कि अकारण ही पुरुषों पर प्रहार करने का शस्त्र।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार है)

आयोग चाहता है कानून में बदलाव

# लड़की को छेड़ा तो होगी दस साल की जेल

**अमर उजाला ब्यूरो**

**नई दिल्ली।** मनचले अब खुद को सुधार लें तो ही बेहतर होगा। अब तक बिना किसी डर के लड़कियों का पीछा करने वाले, उन्हें अश्लील एसएमएस, एमएमएस या ई-मेल भेजने वालों को अब दस साल की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर महिला से छेड़खानी होने पर बचाने के लिए आगे नहीं आने वालों पर भी कानून की गाज गिर सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से किसी भी प्रकार की छेड़खानी को दुष्कर्म की परिभाषा में शामिल करने के लिए एक संशोधित विधेयक का मसौदा केंद्र सरकार को भेजा है।

अभी तक छेड़खानी, अन्य प्रकार के यौन दुर्व्यवहार और दुष्कर्म के लिए भारतीय दंड संहिता में अलग-अलग धाराएं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि इन सभी को एक ही परिभाषा के तहत लाया जाए। इसके लिए एक संशोधित विधेयक भी आयोग ने केंद्र सरकार को भेज दिया है।

इसके तहत किसी भी तरह की छेड़खानी के लिए कम से कम सात साल और अधिक से अधिक दस साल की सजा का प्रावधान है। यह अपराध गैर जमानती होगा। आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने कहा पिछले कई सालों से छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हुआ है।

दुष्कर्म के मामले में तो फिर भी कुछ लोगों को सजा मिल जाती है पर छेड़खानी और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले और यौन दुर्व्यवहार करने वाले आराम से छूट जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन पहले ही यह कह चुका है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या अपमानजनक भाषा को दुष्कर्म के समान माना जाए। इसे ध्यान में रखकर हमने 2006 में ही केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था। हालांकि आयोग की अध्यक्ष ने माना कि उनकी सरकार होने के बावजूद दो साल होने पर भी उनके प्रस्ताव पर केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार से संसद के आगामी सत्र में इस प्रस्तावित विधेयक को पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पारित कराने को लेकर वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगी।

**बढ़ते मामले**

| | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|
| छेड़खानी | 32939 | 34567 | 35000 |
| दुष्कर्म | 15847 | 13233 | 18359 |

(स्रोत : क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो)

**सिफारिश**

**छेड़खानी, यौन दुर्व्यवहार को भी दुष्कर्म माना जाए**

**केंद्र सरकार को भेजा संशोधित विधेयक का मसौदा**

# औरतों के हित में है कानूनी संरक्षण

**समाज**

**अंजलि सिन्हा**

सरकार द्वारा शादी के पंजीकरण को अनिवार्य घोषित करने तथा न्यायालय द्वारा लिव इन रिलेशनशिप (सहजीवन) को स्वीकृति देने की घटनाएं लगभग एक ही समय अंतराल में घटीं। दोनों ही मुद्दे परस्पर विरोधी लगने वाले प्रतीत होते है,'किंतु ये समाज की जटिल स्थिति को उजागर करते हैं। यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के हितों और अधिकारों के रक्षा की गारंटी जटिल समाज व्यवस्था में सीधे-सपाट तथा एक ही तरीके से संभव नहीं हो सकती।

सरकार द्वारा शादी के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के पीछे कारण बताया गया था कि महिलाएं अपने कानूनी हक की लड़ाई आसानी से लड़ पाएंगी। कई बार यह साबित करना मुश्किल होता रहा है कि उनकी शादी अमुक व्यक्ति से हुई है। पति पक्ष द्वारा फोटो, वीडियो, शादी का कार्ड जैसे सुबूत नष्ट कर दिए जाते रहे हैं, गवाहों को चुप करा दिया जाता रहा है। औरत को छोड़ देने, दूसरी शादी कर लेने, संपत्ति से बेदखल करने और विधवा होने पर घर से निकाल देने जैसी घटनाएं होती रही हैं।

समाज में स्त्री-पुरुष की सामाजिक, आर्थिक हैसियत बराबरी की नहीं है। इसलिए कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए पंजीकरण एक अच्छा उपाय है। पंजीकरण राज्य को यह सूचना देता है कि अमुक जोड़ी कानूनन पति-पत्नी है। यदि विवाद की स्थिति में अन्याय, गैरबराबरी का खतरा न हो, तो राज्य द्वारा दिए गए इस लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं होगी।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे बच्चों के कानूनी अधिकार को स्वीकार कर उनके माता-पिता को भी बतौर माता-पिता स्वीकृति दी, जिन्होंने कानून या कानून द्वारा स्वीकृत सामाजिक रीति रिवाज से शादी नहीं की है। ऐसे बच्चों को पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार बनाया गया। कोर्ट ने कड़े शब्दों में यह भी कहा बच्चे जायज या नाजायज नहीं होते। कोर्ट द्वारा उठाया

गया यह प्रगतिशील कदम है। यह कदम रूसी क्रांति की शुरुआती नीतियों की याद दिलाता है। रूस में वर्ष 1917 में अक्तूबर क्रांति के कुछ ही महीने बाद वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने ब्याही तथा अनब्याही मांओं को बराबर की श्रेणी में रखकर उनके बच्चों के प्रति ब्याहे-अनब्याहे पिताओं की बराबर की जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी। उसने शादी को आपसी सहमति का एक करार माना था।

बिना शादी के आपसी रिश्तों की स्वीकृति अक्तूबर, 2006 में लागू हुए घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून के तहत भी दी गई है। बिना शादी किसी पुरुष के साथ वाली महिलाओं की जवाबदेही पुरुष मित्र पर सुनिश्चित की गई है। सहजीवन के ऐसे संबंधों को भी घरेलू हिंसा कानून के दायरे में लाया गया। कहा गया था कि इससे उन पुरुषों पर अंकुश लगेगा, जो कई संबंध बनाकर अपनी सुविधा से मुक्त हो जाते है। ऐसी महिलाएं संबंध 'नाजायज' होने के दबाव में अपने खिलाफ होने वाले हिंसा के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाती थी।

वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रहने के लिए क्या तरीका अपनाता है, यह उसका अपना मामला है। इसमें राज्य और समाज का कितना हस्तक्षेप रहे, इस पर भिन्न-भिन्न राय हो सकती है। लेकिन एक तरफ औरत को उसके अधिकारों से बेदखल करना, उसके साथ हिंसा तथा हत्या तक जारी है, उसे कानूनी संरक्षण और वैध पत्नी के प्रमाणपत्र की दरकार है, तो दूसरी तरफ समुदाय और घर-परिवार उसकी ऐसी शादी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो इनकी मरजी से न हो। जाति-धर्म की सीमाओं को लांघना जान से हाथ धो बैठने का कारण बन रहा है। ऐसे जोड़ों को समाज से बाहर करने तथा मार डालने तक के फरमान पंचायतें जारी कर देती हैं। ऐसे हालत में शादी सिर्फ दो लोगों का निजी मामला नहीं रह जाता। इसलिए शादी का पंजीकरण भी जरूरी है और बिना शादी साथ रहने वालों के प्रति स्वीकृति भाव भी।

मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण की पत्नी रंजना को सालों लग गया यह साबित करने में कि उदित उनके पति हैं। वह पत्रकारों के सामने भी रंजना को अपनी पत्नी मानने से इनकार करते रहे। रंजना ने सामाजिक और कानूनी, दोनों लड़ाइयां लड़ीं। शादी का फोटो मीडिया में जारी किया, महिला आयोग के सामने उस पंडित की गवाही हुई, जिसने शादी कराई थी। जब उदित नारायण पटना के एक होटल में ठहरे थे, तो रंजना ने होटल के दरवाजे पर धरना दिया। वह चुपचाप पति का धोखा नहीं सहना चाहती थी कि उन्हें बिना बताए उसने मुंबई में शादी कर ली।

कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि कितनी महिलाएं इतना झंझट उठाने की स्थिति में होंगी। दो गैर-बराबरी हैसियत वालों के बीच सिर्फ सहमति पुछ लेने से बात नहीं बनती। इसलिए जब तक बराबरी की जमीन तैयार नहीं होती, तब तक निजी रिश्तों में कानूनी संरक्षण की आवश्यकता होगी।

(लेखिका स्त्री अधिकार संगठन की कार्यकर्ता है)


जागोरी JAGORI

निशुल्क प्रतियों के लिए संपर्क करें -
जागोरी बी-114 शिवालिक मालविया नगर, नई दिल्ली-110017, फ़ोनः